



प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23

वाणिज्य एवं उद्योग
तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग



छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण



नव निर्मित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन, दुर्ग के लोकार्पण समारोह में उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री



प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2022-23

वाणिज्य एवं उद्योग
तथा
सार्वजनिक उपक्रम विभाग





नव निर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क के लोकार्पण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय



जगदलपुर में आयोजित बॉयर-सेलर, ओडीओपी एवं स्टार्टअप सम्मेलन में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुये माननीय उद्योगमंत्री






प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय	
विभागीय मंत्री - सार्वजनिक उपक्रम विभाग	माननीय श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री
विभागीय मंत्री - वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	माननीय श्री कवासी लखमा
अपर मुख्य सचिव (वा.उ.-रेल परियोजनाएं)	श्री सुब्रत साहू, IAS
सचिव	श्री भुवनेश यादव, IAS
संयुक्त सचिव	श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, IAS
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	श्री आलोक त्रिवेदी
अवर सचिव	श्री मगन लाल पवार
विभागाध्यक्ष	
उद्योग संचालनालय	श्री अनिल टुटेजा, संचालक उद्योग, IAS
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री सत्यनारायण राठौर, पंजीयक, IAS
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री गुंजन शुक्ला, प्रभारी मुख्य निरीक्षक
विभाग के बोर्ड एवं निगम	
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	अध्यक्ष - श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री
	संयोजक - श्री भुवनेश यादव, IAS
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष - माननीय श्री कवासी लखमा
	प्रबंध संचालक - डॉ. सारांश मिस्त्र, IAS
छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष- श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, IAS
	प्रबंध संचालक - श्री आर.एस. राजपूत






राज्योत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव में उद्योग आधारित प्रदर्शनीय स्थल का निरीक्षण करते हुये माननीय मुख्यमंत्री महोदय



मिलेट आधारित औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करते हुये माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उद्योगमंत्री, स्थल- कांकेर



विषय सूची		पेज नं.
भाग - 1		
1.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	01-17
2.	उद्योग संचालनालय	18-33
3.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	34-35
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	36-39
5.	विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/उपक्रम	
	(अ) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	40-41
	(ब) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	42-60
6.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)	61-64
7.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	65
भाग - 2		
8.	बजट	66-69
भाग - 3		
9.	योजनाएं	70-110
भाग - 4		
10.	परिशिष्ट	111-118





विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों और योजनाओं पर समीक्षा बैठक लेते हुये माननीय उद्योगमंत्री



ए.वी.पी.एन. कांफ्रेंस, 2022 के दौरान मोमेंटो प्रदान करते हुए माननीय उद्योगमंत्री, स्थल- इंडोनेशिया



भाग-1

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग


राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रमुख दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से उद्यमियों को सुविधाएं, विभिन्न छूट एवं अनुदान प्रदान कर उद्योग स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम”, “मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना”, “स्टार्ट अप योजना”, “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”, “स्टैण्ड अप योजना” तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) में नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए बेरोजगारी को दूर करने एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। देश-विदेश में औद्योगिक नीति का प्रचार-प्रसार कर, निवेश आकर्षित करने तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा महिलाओं व तृतीय लिंग के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य के सभी वर्गों के समन्वित व समेकित विकास को आधार प्रदान किया जा रहा है।

1.1 विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार है—

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. व्यापार एवं वाणिज्य.
2. वस्तुओं का उत्पादन.
3. एकस्व, आविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह.
4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात.
5. महाजनी (बैंकिंग) कम्पनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां.
6. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ.
7. बीमा.
8. वाष्पयंत्र.
9. भण्डार.
10. विस्फोटक.
11. डाक घर बचत बैंक.



12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं है.
13. सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित है.
14. विनिमय पत्र, चैक, वचन-पत्र और ऐसी ही अन्य लिखतें.
15. उद्योगों की राज्य सहायता.
16. राज्य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक -2 का छोड़कर)
17. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर) है.
18. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला.
19. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यापार, संघ तथा न्याय.
20. विलोपित.
21. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरों से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण
22. फर्नेस आइल.
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ-नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
24. रेल-इसमें नई रेलवे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल है।

(ब) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :-

1. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित 2020)
2. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951
3. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 1998
4. भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932
5. वाष्पयंत्र अधिनियम, 1923
6. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
7. छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978
8. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002



9. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004
10. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017
11. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित)
12. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015(यथा संशोधित)

(स) विभाग में प्रचलित नीतियां


1. औद्योगिक नीति 2019–24
2. छत्तीसगढ़ आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010
3. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018–23
4. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

(द) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लिये प्रशासित सेवा नियम

1. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 1985
2. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987
3. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक सेवा) सेवा भर्ती नियम 2007
4. छत्तीसगढ़, राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
5. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा भर्ती नियम 2011
6. छत्तीसगढ़, राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
7. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012
8. छत्तीसगढ़, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2013
9. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2006
10. छत्तीसगढ़, फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम 2007
11. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012

(ई) सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

1. नीति –क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय
2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
3. निगमों की सामान्य समस्याएं
4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग पद्धतियों का समन्वयन



1.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी -

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूँजी निवेश (रु. करोड़ में)
1.	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक)	705	7,778	1237.29
2.	वर्षात तक राज्य गठन के पश्चात् कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2022 तक)	22,821	1,52,762	8,466.08

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूँजी निवेश (रु. करोड़ में)
1.	स्थापित मध्यम-वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (माह जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक)	65	5,158	14,976.15
2.	वर्षात तक राज्य गठन के पश्चात् स्थापित मध्यम-वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2022 तक) (उत्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त)	371	64,041	95,780.09

- 3 उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 25
(राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुरनगर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)
- 4 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) 27
- 5 स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क 04
- 1- मेटल पार्क (फेस-1 एवं 2)-रावाभाटा, जिला-रायपुर
 - 2- इंजीनियरिंग पार्क-भिलाई, जिला-दुर्ग
 - 3- फूड पार्क ग्राम- बंजारी-बगौद, जिला धमतरी
 - 4- इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर अटल नगर



6	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां	02
	1— फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, जिला—रायपुर	
	2— कृषि उपकरण कारखाना भिलाई, जिला—दुर्ग	
7	राज्य में स्थापित वाष्पयंत्रों की संख्या	1563
8	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य में पंजीकृत समितियों की संख्या	1,12,125
9	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या	39,689
10	छत्तीसगढ़ से निर्यात वर्ष 2022—23 (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022) राशि (रु. करोड़ में)	15,803.3
11	(1) राज्य गठन के पश्चात् से निष्पादित प्रभावी एम.ओ.यू. (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 2012 में निष्पादित एम.ओ.यू. को छोड़कर) —	
	संख्या	314
	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रु. करोड़ में)	303483.04
	सृजित स्थाई पूंजी निवेश (रु. करोड़ में)	83710.57
	एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ नवीन एवं विस्तारित परियोजनाएँ	86
12.	राज्य में रेलवे लाईन — कुल 1320 कि.मी. (पूर्व स्थापित 1186 रूट कि.मी.) व नवीन 134 कि.मी.]	
13.	राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या—	25



दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ. में छत्तीसगढ़ के स्टॉल का निरीक्षण करते हुए विशेष सचिव महोदय



1.3 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा EoDB के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य लगातार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है।


Business Reform Action Plan- 2022

वर्ष 2022 में Business Reforms Action Plan के तहत 352 सुधार बिन्दुओं की सूची जारी की गई है, जिसमें से 261 सुधार बिंदु Ease of Doing Business तथा 91 Ease of Living से संबंधित है। यह सुधार बिंदु राज्य के 29 विभागों एवं संस्थाओं से संबंधित है।

Ease of Doing Business उद्यमियों/निवेशकों के लिये आवश्यक सभी लायसेंस/अनुमति/सम्मति आदि के आवेदन तथा निराकरण हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की Single Window System विकसित की गई है तथा इन सेवाओं की ऑफलाईन प्रक्रिया को पूर्णतः बन्द कर केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं-

<p>1. उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई. डी.सी लिमिटेड</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 85 से अधिक सेवाओं को ऑनलाईन प्रदाय किया जा रहा है। 2. Single Window System के माध्यम से इन सभी सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. "उद्यम आकांक्षा" ऑनलाईन, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 82900 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। 4. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है।
--	--




		<ol style="list-style-type: none"> 5. राज्य से सम्बंधित सभी अनुज्ञापति / अनुमति / प्रमाण पत्र आदि की जानकारी को भारत सरकार द्वारा विकसित National Single Window System में integrate किया गया है जिसके माध्यम से देश तथा विदेश के निवेशक राज्य में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं 6. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओं के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर— 1800–233–3943 विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। 7. CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। 8. प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरा या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस-पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। GIS पद्धति को भारत सरकार के India Industrial Land Bank (IILB) प्रणाली से integrate भी किया गया है। 9. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 10. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। 11. सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई-मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है।
--	--	--



		<p>12. सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की Single Window System में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।</p>
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	<ol style="list-style-type: none"> 1. वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 481 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है। 3. बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 4. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है। 5. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।
3.	नगरीय प्रशासन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 65100 से अधिक आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं। 2. छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है। 3. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। 4. भवन निर्माण अनुज्ञा की Single Window System के माध्यम से अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे- विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है। 5. संपत्ति पंजीयन व संपत्ति कर गणना एवं भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। 6. ट्रेड लायसेंस हेतु स्वतः नवीनीकरण प्रणाली की अनुमति प्रदान कर दी गई है।



		<ol style="list-style-type: none"> 7. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत साईनेज लायसेंस के आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है। 8. राज्य में सभी प्रकार के जल कनेक्शन के आवेदन हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है। 9. सेवा हेतु थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 2. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 900 से अधिक आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं। 3. भवन निर्माण के पूरा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। 4. भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमति, यूनिफार्म बिल्डिंग कोड की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	<ol style="list-style-type: none"> 1. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकृत करने, ई-कचरा नियम, 2011, प्लास्टिक कचरा नियम, 2011 आदि के तहत पंजीयन हेतु आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. वर्ष 2022 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकृत करने, बैटरी नियम, 2001 के तहत डीलरों के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 3. सफेद श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है।



		<ol style="list-style-type: none"> 4. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व-प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 5. प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। 6. नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 7. सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 8. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। 9. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है। 10. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम 2016 के लिये थर्ड-पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है।
6.	श्रम विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। 3. उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है।



		<ol style="list-style-type: none"> 4. मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 5. अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना के पंजीयन हेतु स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था लागू की गयी है। 6. समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 7. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 8. दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 9. सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ-साथ थर्ड पार्टी इंसपेक्शन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित की गई है। 10. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।
7.	ऊर्जा विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। 2. विभाग की वेबसाईट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय-सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट-ऑफ वे लेने की आवश्यकता नहीं है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट-ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है। 4. नवीन विद्युत कनेक्शन के आवेदनों की संख्या एवं प्रदाय किए गए कनेक्शनों की संख्या आदि पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है। 5. इंड टू इंड आवेदनों के निराकरण हेतु स्थल निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त की गई है।



<p>8. पंजीयन विभाग</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये है। 2. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई-स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनों विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाईट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है। 4. सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 5. विगत तीन वर्षों के समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल करवाये जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है। 6. सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैन/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई है। 7. नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। 8. पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है। 9. डीड का पंजीयन एक दिवस के आधार पर जारी करने की सुविधा आरंभ कर दी गई है। 10. संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने हेतु एक ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है। 11. रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदनकर्ता को होने वाली असुविधा की शिकायत ऑनलाईन दर्ज करने हेतु सुविधा विकसित की गई है।
------------------------	---



9.	वाणिज्यक कर विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई-फाइलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। 2. स्टेट जी.एस.टी के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। 4. भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रही विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट होने की सुविधा लागू की गई है। 5. व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण को सरलीकृत करते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन व अन्य) हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।
11.	विधि विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 3. ई-फाइलिंग एवं ई-सम्मन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

		<ol style="list-style-type: none"> 4. ई-फाइलिंग हेतु कोर्ट फीस तथा प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा लागू की गई है। 5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 6. स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान कर दी गई है। 7. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।
12.	वन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 4201 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। 4. पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 3188 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।
13.	नापतौल विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
14.	लोक निर्माण विभाग	<p>सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। कुल 27 आवेदन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।</p>
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. थोक एवं विनिर्माण औषधि लायसेंस हेतु स्व-नवीनीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है।

16.	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)	राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवेदकों/ करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	<ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट से संयोजित किया गया है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है। 5. पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 28728 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है। 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 3. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।
19.	आबकारी विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. FL-2, FL-3, FL-3(A), FL-4, FL-4(A), FL-5 तथा FL-5(A) लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. इंड टू इंड आवेदनों के निराकरण हेतु स्थल निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त की गई है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. योग्य पंजीकरण में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं होने की स्थिति में स्व-प्रमाणन की अनुमति प्रदान की गई है। 5. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।


20.	केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली	<ol style="list-style-type: none"> 1. औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है। 2. उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है। 3. सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गई है। 4. निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 5. आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।
21.	गृह विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस ऑनलाईन प्रदाय हेतु ई-डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रणाली निर्मित की गई है। 2. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस से संबंधित एनओसी हेतु उद्योग विभाग के सिंगल विंडो प्रणाली से जोड़ा गया है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।
22.	संस्कृति विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. मूवी शूटिंग लायसेंस प्रदाय हेतु ऑनलाईन प्रणाली का निर्माण की जा चुकी है। जिसमें नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से एकल प्रणाली द्वारा निर्णय प्रदान करेंगे। 2. राज्य द्वारा संरक्षित मोनुमेन्ट स्थल के अंतर्गत मूवी शूटिंग हेतु लायसेंस की ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। 3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 4. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।



		5. किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को नामांकित किया गया है।
23.	परिवहन विभाग	<ol style="list-style-type: none"> 1. ट्रैवल्स एजेंसी के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। 2. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 3. थर्ड-पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी है।

1.4 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय, निगम/बोर्ड निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	श्रेणी	पता
1.	उद्योग संचालनालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
2.	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	बोर्ड	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
3.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	निगम	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
5.	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	विभागाध्यक्ष	इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
6.	छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रायपुरा, महादेवघाट रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़



उद्योग संचालनालय

उद्योग संचालनालय “संचालक उद्योग” के नियंत्रण में कार्यरत है तथा इसके अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत है। मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख हैं। संचालनालय एवं इसके मैदानी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों की पद संरचना **परिशिष्ट-एक** पर संलग्न है।

राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक नीति 2019-24 का क्रियान्वयन “उद्योग संचालनालय”, “छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0” एवं “राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड” के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान-प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा आनुषंगिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समयावधि में करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2006 से लागू “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006” के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित “छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउंसिल” कार्य कर रही है।

विभाग तथा उसके अन्तर्गत उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं तथा छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

संचालनालय द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं, “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम”, “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना”, “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना”, “स्टार्टअप योजना”, “स्टैण्ड-अप योजना”, “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना” का क्रियान्वयन एवं समन्वय कर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार का सृजन किया जा रहा है।

(1) औद्योगिक नीति 2019-24

नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन करना, जिससे राज्य का संतुलित व समेकित विकास सुनिश्चित हो। अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम निवेशकों को आकर्षित करना है। राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं औषधीय उत्पादों में मूल्य संवर्धन हेतु “इको सिस्टम” तैयार कराना है। उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता श्रेणी के अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना कराना है। राज्य के युवाओं के लिए



रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना, कमजोर वर्ग के उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों के आवश्यकता हेतु प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। टेक्सटाईल, फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के उद्योग एवं अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना। राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगितापूर्ण समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना। राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण की सुरक्षा, जेम्स एण्ड ज्वेलरी उद्योगों को प्रोत्साहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 को दिनांक 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य हेतु राज्य को औद्योगिक दृष्टि के आधार पर चार वर्गों “विकसित क्षेत्र”, “विकासशील क्षेत्र”, “पिछड़े क्षेत्र” व “अति पिछड़े क्षेत्र” में वर्गीकरण किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के सभी विकासखण्डों को पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्र में रखा गया है। इन क्षेत्रों हेतु अधिक आर्थिक पैकेज देकर, निवेश को इन क्षेत्रों में आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही संतुप्त श्रेणी के कुछ उद्योगों को इन क्षेत्रों में संतुप्त श्रेणी से बाहर रखा गया है।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु, शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों को दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अकुशल श्रमिकों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय / प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने की शर्त का पालन करवाया जा रहा है।

कृषि प्रधान राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु भी एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रत्येक जिले में उत्पादन होने वाले प्रमुख फूलों, फलों, सब्जियों एवं औषधीय वनस्पतियों के प्रसंस्करण हेतु उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। साथ ही एफपीओ (Farmer Producers Organisations) को सामान्य वर्ग में उद्यमियों के समान सुविधाएं दी जा रही है। महिला स्व-सहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होंगी।



राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, धातु उत्पादों और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने उनके विपणन हेतु छत्तीसगढ़ ई-मार्केटिंग पोर्टल “ई-मानक (E-MaNe-C)” की शुरुआत की गई है। साथ ही सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन देने एमएसएमई सेवा उद्यमों को निवेश प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के आधारभूत (कोर सेक्टर) उद्योगों जैसे सीमेंट एवं इस्पात निर्माण को पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र में समर्थन प्रदान कर राज्य को सतत् प्रगति की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

औद्योगिक नीति 2019-24 में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निर्माण को पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 में **वनांचल उद्योग पैकेज** का समावेश किया गया है।

निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु संपूर्ण राज्य में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूर्व नीति में 25 एकड़ थी। बस्तर व सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की समस्या को देखते हुए वर्तमान नीति में इसे सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु 20 एकड़ कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज** लागू की गई है। जिससे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान कर विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभान्वित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू की गई है। जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतों के साथ-साथ मार्जिन मनी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कोर सेक्टर के उद्योगों (यथा स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमिनियम संयंत्र) को औद्योगिक नीति 2019-24 में स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। इन उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत **Be Spoke policy** लागू की गई है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010

भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्रों के गठन एवं संचालन के लिए “विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम 2005” (2005 का 28 वाँ) पारित किया गया है। इसी संदर्भ में राज्य में निर्यात उत्पादन में वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिये राज्य शासन द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति 2010” लागू की है। भारत सरकार द्वारा पारित “विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नियम, 2005” के तहत बनाये गये नियम एवं राज्य शासन की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति के तहत राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र किसी भी व्यक्ति (जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य शासन, निजी व्यक्ति, संयुक्त क्षेत्र/सार्वजनिक/निजी भागीदार



प्रारूप में शामिल हैं) द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल विभाग है।

राज्य में राजनांदगांव जिले के महरूमखुर्द-चवरढाल ग्राम में निजी क्षेत्र का एक विशेष औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित हुआ है जिसमें "फोटो वोल्टेज मॉड्यूल" निर्माण का एक उद्योग 48 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित है।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018-23

राज्य के औद्योगिक विकास के समानान्तर वाणिज्यिक विकास भी आवश्यक है व वाणिज्यिक विकास हेतु राज्य में आदर्श मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता, श्रम शांति, निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थापना लागत में कमी, राज्य की भौगोलिक स्थिति केन्द्रीयकृत स्थिति में होने, संवेदनशील प्रशासन, खनिज बाहुल्य प्रदेश होने से निर्माण लागत में कमी, आदि ऐसे बिन्दु हैं जिससे राज्य में वाणिज्यिक विकास की काफी संभावनाएँ हैं। सम्पूर्ण देश में 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी (एक देश एक कर) लागू होने का लाभ भी छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक दिलाने हेतु व्यापार एवं वाणिज्य का सुनियोजित विकास आवश्यक है।

राज्य की उपरोक्तानुसार शक्तियों, नियोजित ढंग से हो रहे औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक विकास को एक नया आयाम देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018 दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ की गयी है, जिसकी कार्यावधि 31 मार्च 2023 तक है।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से "नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग" योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" राज्य में प्रभावशील है। इस योजना की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक थी। राज्य शासन द्वारा लागू की गयी नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन" योजना की कालावधि को 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है। जिसके तहत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रदान की जावेगी।



(5) वर्ष 2022-23 में जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश

क्र	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में भू आबंटन पर भू प्रीमियम में छूट/रियायत	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-33/2022/11/6, दिनांक 09.12.2022
2.	नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 5 एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से छूट	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4-98/2017/सात-1 दिनांक 14.09.2022

(6) वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अप्रैल 2022 से दिसंबर, 2022 तक) औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां

6.1 वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट:-

क्र.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रु० करोड़ में)	रोजगार
1.	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	507	895.40	5559
2.	स्थापित मध्यम-वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	56	14708.85	4657

6.2 वर्षांत तक राज्य में स्थापित कुल उद्योगों की एकजाई जानकारी :-

क्र.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रु० करोड़ में)	रोजगार
1.	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात् कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	22821	8466.08	152762
2.	वर्षांत तक राज्य में कुल स्थापित मध्यम-वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	501	115208.15	136650



6.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश की स्थिति -

वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु जनवरी, 2022 से नवम्बर, 2022 तक भारत शासन, उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन (आई.ई.एम.)-

संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रु० करोड़ में)
33	7358.00

6.4 वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय की गयी अनुदान, छूट व रियायतें :-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	ब्याज अनुदान	881
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	338
3.	मार्जिन मनी अनुदान	31
4.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत अनुदान	07
5.	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण-पत्र	702
6.	विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा पत्र	48
7.	प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र	113
8.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी (ऑनलाईन)	563
9.	मण्डी शुल्क से छूट	2
10.	अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत	6

6.5 वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 तक) उद्योगों हेतु आबंटित अनुदान:-

क्र.	अनुदान का विवरण	कुल आबंटित राशि (राशि रु. लाख में)
1.	ब्याज अनुदान	3855.28
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	10,000.00
3.	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00
4.	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1400.00
5.	औद्योगिक पार्कों के लिये अनुदान	500.00
6.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये अनुदान	150.00



6.6 सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठियों का आयोजन :-

शासन की विभिन्न स्व-रोजगार मूलक योजनाएं जैसे- मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्ट-अप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य में लागू ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जिलों के विकासखण्ड स्तर पर सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी एवं रोजगार मेला का आयोजन किया गया।

ऑल इंडिया काउंसिल फार रोबोटिक्स एण्ड आटोमेशन (AICRA) द्वारा इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव एवं अवार्ड 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य की ओर से 12 स्टार्टअप इकाईयों ने इस आयोजन में भागीदारी दी गई। इस कार्यक्रम में राज्य के 04 स्टार्टअप इकाईयों को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप के रूप में सम्मानित किया गया तथा इन्क्यूबेशन के क्षेत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इन्क्यूबेशन सेंटर (IGKV-RABI) को सर्वश्रेष्ठ इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया।

बस्तर संभाग में दिनांक 10.11.2022 को कृषि महाविद्यालय परिसर, जगदलपुर में संभाग स्तरीय Buyer-Seller Meet, Startup workshop, एक जिला एक उत्पाद (ODOP) एवं निर्यात संवर्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

6.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :-

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं संशोधित की गयी है जिसके अनुसार इन उद्यमों में यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 25.00 लाख तक, 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक एवं 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक की गयी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576 (ई) दिनांक 18.09.2016 से उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने की व्यवस्था लागू की है, इस अधिसूचना से राज्य में ई.एम. पार्ट-1 एवं ई.एम. पार्ट-2 दाखिल करने संबंधी व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट-1 के स्थान पर राज्य में "उद्यम आकांक्षा"(Udyam Aakansha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2016 से प्रभावशील से है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20-10/2007/11/(6), दिनांक 29.08.2022 के तहत नवीन दो वर्षीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के अध्यक्ष संचालक





श्री मनु महावर, आई.एफ.एस., (भारत मिशन प्रमुख) द्वारा उद्योग संचालनालय में विभिन्न औद्योगिक समूह एवं विभिन्न विभागीय प्रमुखों के साथ राज्य के निर्यात संभावनाओं पर चर्चा का एक दृश्य



सोलर ईवीएसीट आधारित औद्योगिक इकाई का एक दृश्य, गोंदवारा, जिला- रायपुर



विभागीय स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित हितग्राही

उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं। विवादों के निराकरण की प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर रहती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 10 प्रकरणों का निपटारा किया गया है, जिसमें रु. 17.01 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया।

6.8 स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति (अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक) :-

(6.8.1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम -

1. भौतिक लक्ष्य- 1432, वित्तीय लक्ष्य- 4259.19 लाख
2. स्वीकृत प्रकरण- 1851, स्वीकृति मार्जिन मनी राशि रु.- 2999.25 लाख,
3. मार्जिन मनी वितरित प्रकरण- 764, वितरित मार्जिन मनी राशि रु.- 2025.18 लाख

(6.8.2) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना -

1. भौतिक लक्ष्य-600, वित्तीय लक्ष्य- 301.00 लाख
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण-412 स्वीकृत मार्जिन मनी- 155.38 लाख
3. ऋण वितरित प्रकरण-151, वितरित मार्जिन मनी- 55.77 लाख

(6.8.3) स्टैण्ड-अप इंडिया योजना - राज्य में प्रत्येक बैंक शाखाओं को न्यूनतम 2 प्रकरणों में ऋण वितरण का लक्ष्य है।

1. ऋण स्वीकृति प्रकरण- 515 , स्वीकृत राशि- 12587.47 लाख
2. ऋण वितरित प्रकरण- 168, वितरित राशि- 3083.40 लाख

(6.8.4) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - भौतिक लक्ष्य:- 598891, वित्तीय लक्ष्य:- 3811.50 करोड़

(राशि करोड़ में)

शिशु (रु. 50,000)			किशोर (रु 50,001 से रु. 5.00 लाख)			तरुण (रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख)			कुल			उपलब्धि (%)	
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1+4+7)	11 (2+5+8)	12 (3+6+9)	13	14
386374	1187.97	1171.16	141809	2177.25	2094.28	18058	1377.07	1316.24	546241	4742.29	4581.68	91.20	120.20

(6.8.5) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना -

1. भौतिक लक्ष्य— 931 (Cumulative)
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण—144 स्वीकृत मार्जिन मनी— 4.47 करोड़
3. ऋण वितरित प्रकरण—73, वितरित मार्जिन मनी— 1.19 करोड़

(6.8.6) छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप योजना -

1. भारत सरकार के डी.पी.आई.आई.टी. (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा) हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया। लगातार प्रयास से राज्य में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का विकास हुआ है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य के स्टार्ट-अप की संख्या दिसंबर 2022 की स्थिति में 893 हो चुकी है
2. स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज** लागू किया गया है।
3. वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित छ.ग. राज्य राज्योत्सव एवं आदिवासी नृत्य महोत्सव-2022 में राज्य के 05 स्टार्ट-अप इकाईयों द्वारा प्रदर्शनी में भाग लिया गया।



बेंगलूरु में आयोजित टैक स्टार्टअप कान्क्लेव 2022 में छत्तीसगढ़ स्टार्टअप उद्यमियों के द्वारा की गई भागीदारी का एक दृश्य

(7) उद्योग संचालनालय के अधीन विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3.	4.	5.	6.
औद्योगिक क्षेत्र (100 हेक्टेयर से अधिक)					
1	दुर्ग	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	550.372	162.532	162.532
2	दुर्ग	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	289.812	185.808	185.808
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक)					
3	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान भिलाई	89.649	82.613	82.613
4	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	74.750	8.387	8.387
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)					
5	कोरबा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	40.000 (सीमांकन अनुसार 37.630 हे.)	22.457	22.457
6	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	21.736	16.313	16.313
7	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम बोड़ेगांव	8.158	5.061	5.061
8	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, रायगढ़	9.860	5.202	5.202
9	रायगढ़	ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	0.942	0.418	0.418
10	जांजगीर-चांपा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा रोड चांपा	8.720	5.090	5.090
11	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड़	13.658	10.567	10.567
12	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ़ेजरपुर	12.760	12.727	12.727
13	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पंडरीपानी	4.876	4.876	4.876
14	राजनांदगांव	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	7.769	7.237	7.237
15	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	4.046	2.043	2.043
16	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	2.428	2.417	2.417
17	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, गटुला	1.618	0.404	0.404
18	राजनांदगांव	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ़	1.214	0.708	0.708
19	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, अंबिकापुर	9.49	7.06	7.06
20	सूरजपुर	औद्योगिक क्षेत्र, अजीरमा	6.07	4.00	4.00
21	जशपुरनगर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	4.047	2.885	1.384
22	कोण्डागांव	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा,	2.63	2.15	2.15
23	कोरिया	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	2.485	2.286	2.286
24	कोरिया	ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	0.111	0.111	0.111
25	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	2.12	1.71	1.71



मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर आधारित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण से लाभान्वित प्रशिक्षार्थी

(8) फूड पार्क :-

8.1 प्रस्तावित नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि की जानकारी

1. माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में 200 नवीन फूडपार्क की स्थापना की घोषणा की गई है।
2. उक्त घोषणा के परिपालन में राज्य के 146 विकासखण्डों में से 114 विकासखण्डों में नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है।
3. नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु कुल 57 विकासखंडों में भूमि हस्तांतरण आदेश पारित होने के उपरांत 53 विकासखंडों की कुल रकबा 630.746 हेक्टे. शासकीय भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया है तथा शेष 04 विकासखंडों की 45.824 हेक्टे. विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उद्योग विभाग को आधिपत्य प्राप्त :-

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
1	सुकमा	सुकमा	सुकमानगर	5.900
2	सुकमा	कोन्टा	फन्दीगुड़ा	3.135

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
3	सुकमा	छिन्दगढ	पाकेला	10.118
4	बस्तर	लौहण्डीगुड़ा	धुरागांव	7.650
5	दुर्ग	धमधा	धरमपुरा	8.72
6.	दुर्ग	पाटन	देमार	10.200
7	कोरबा	कटघोरा	गोपालपुर	10.903
8	कोरबा	करतला	चांपा	10.000
9	रायगढ़	पुसौर	गढ़उमरिया	17.806
10	रायगढ़	खरसियां	छोटे डूमरपाली	6.248
11	रायगढ़	बरमकेला	झिंकीपाली	7.134
12	रायगढ़	घरघोड़ा	टेण्डा	10.000
13	रायगढ़	धर्मजयगढ़	कटाईपाली	6.876
14	बालोद	डौण्डी	गुदुम	10.000
15	बालोद	डौण्डीलोहारा	कोटेरा	14.990
16	बेमेतरा	बेमेतरा	चंदनू व रवेली	82.760
17	बेमेतरा	बेरला	सिंगारडीह	16.000
18	बेमेतरा	साजा	राखी	7.650
19	बेमेतरा	नवागढ़	अकोली	12.000
20	जशपुर	फरसाबहार	फरसाबहार	6.070
21	जशपुर	दुलदुला	पतराटोली,	7.722
22	जशपुर	कुनकुरी,	मयाली	4.860
23	जशपुर	कांसाबेल	नरायणबहली	4.741
24	जशपुर	बगीचा	पण्डरापाट	6.072
25	जशपुर	पत्थलगांव	चिकनीपानी	4.140
26	सरगुजा	सीतापुर	उलकिया	8.920
27	सरगुजा	उदयपुर	रिखी	8.064
28	सरगुजा	मैनपाट	डांगबुड़ा	3.812
29	सरगुजा	लुण्ड्रा	जमीरा	17.032

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
30	सरगुजा	अंबिकापुर	मेण्ड्राकला	6.000
31	सरगुजा	लखनपुर	टपरकेलाखुर्द	9.834
32	सरगुजा	बतौली	गोविन्दपुर	4.047
33	सूरजपुर	प्रतापपुर	केवरा	12.00
34	सूरजपुर	रामानुजनगर	बरबसपुर	11.000
35	उ.ब. कांकेर	कोयलीबेड़ा	रामकृष्णपुर	10.000
36	बिलासपुर	बिल्हा	बरतौरी	10.000
37	बिलासपुर	मस्तूरी	ओखर	10.000
38	रायपुर	तिल्दा	खपरीखुर्द	8.115
39	रायपुर	आरंग	गोढ़ी	6.77
40	मुंगेली	मुंगेली	तरवरपुर	9.357
41	मुंगेली	पथरिया	हथकेरा-बिदबिदा	11.475
42	गरियाबंद	फिंगेश्वर	सुरसाबांधा	15.150
43	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	अलीकूद	24.103
44	बलौदाबाजार	कसडोल	मटिया	10.125
45	बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार-भाटापारा	बोईरडीह	7.848
46	बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	कोसमंदा	12.500
47	बलरामपुर	वि.ख. रामचंद्रपुर, तहसील-रामानुजगंज	कंचननगर	12.76
				8.91
				21.67
48	नारायणपुर	नारायणपुर	कनेरा	10.000
49	धमतरी	मगरलोड	तेंदूभांठा	32.47
50	धमतरी	नगरी	गट्टासिल्ली	11.200
51	राजनांदगांव	छुरिया	पांगरीखुर्द	19.599
52	द.ब. दंतेवाड़ा	कुआकोंडा	गढ़मिरी	8.900
53	द.ब. दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	गाटम	19.060
योग :-				630.746



उद्योग विभाग के नाम पर हस्तांतरण :-

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे. में)
1.	कोरिया	बैकुंठपुर	फूलपुर	10.000
2.	गौरेला-पेंड्रा- मरवाही	पेन्द्रारोड (गौरेला)	अंजनी	6.070
3.	रायपुर	आरंग	आरंग	20.274
4.	रायपुर	अभनपुर	नाहनाचंडी	9.480
			योग :-	45.824

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 :- उद्योग संचालनालय में 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 307 नवीन आवेदनों में से 27 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 280 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा। इसी प्रकार उद्योग संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 1756 आवेदनों में से 573 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 1183 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा।



रोल्स एचडीपीई पर आधारित औद्योगिक इकाई का दृश्य, उरला

पंजीयक-फर्म्स एवं संस्थाएँ

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय है। इसका मुख्यालय नवा रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन व प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। इस कार्यालय के अधीन सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ के चार संभागीय कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में कार्यरत हैं।

1. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

- 1.1 **भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932** :- इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है तथा समय-समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होने हैं, उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती है।
- 1.2 **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998)** :- इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य, जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, प्रशासक की नियुक्ति आदि जैसे कार्य किया जाता है। संस्था के विधान में जो संशोधन समय-समय पर किया जाता है, उनको भी अनुमोदन कर रिकार्ड पर लिया जाता है। संस्था द्वारा प्रेषित जानकारियों पर भी कार्यवाही की जाती है।
- 1.3 सोसायटी का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं संशोधन दिनांक 13.02.2018 से प्रारंभ है।
- 1.4 फर्म का पंजीयन ऑनलाईन प्रारंभ दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं परिवर्तन दिनांक 15.05.2018 से प्रारंभ है।
- 1.5 ऑनलाईन पंजीयन हेतु वेबसाइट rfas.cg.nic.in है, इसके अंतर्गत 24X7 समय में पंजीयन प्रकरण आवेदकों से अपने स्थान से ही पंजीयन प्रकरण जमा करने एवं पंजीयन पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदकों को किसी भी कार्य हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।



1.6 प्रतिमाह 5 तारीख के बाद प्रत्येक संस्था को जिनकी अवधि एक वर्ष पूर्ण हो गई है, धारा 27 एवं 28 जमा करने हेतु जनवरी 2019 से एस.एम.एस. अलर्ट प्रेषित किया जाना प्रारंभ किया गया है।

2. अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियां :-

2.1 इस कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 प्रभावशील हैं, जिसके तहत निम्नांकित सेवाएं सम्मिलित हैं :-

1.	समिति रजिस्ट्रेशन	—	30 कार्य दिवस
2.	भागीदारी फर्म रजिस्ट्रेशन	—	15 कार्य दिवस
3.	अधिनियम की धारा 21 के अधीन पूर्वानुमति हेतु आवेदन पर कार्यवाही	—	30 कार्य दिवस

2.2 इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 भी प्रभावशील हैं, जिसके तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां तथा जानकारी प्रदाय किया जाता है।

3. सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या :- इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 01.04.2022 से 31.12.2022 तक किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

3.1	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित-1998) के अधीन पंजीकृत समितियों की संख्या		
	पंजीकृत सोसायटी (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक)	—	3055
	कुल पंजीकृत समितियों की संख्या	—	108983
3.2	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म्स		
	पंजीकृत फर्म (दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक)	—	886
	कुल पंजीकृत फर्मों की संख्या	—	38703
3.3	समिति एवं फर्मों के पंजीयन के कार्य ऑनलाईन प्रारंभ किए गए हैं।		

4. राजस्व प्राप्तियाँ :- भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित-1998) के तहत समितियों तथा फर्मों के पंजीयन एवं प्रशासन के अधीन विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक) में निर्धारित लक्ष्य रूपये 5.00 करोड़ के विरुद्ध रूपये 4.09 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है।



वाष्पयंत्र निरीक्षकालय

उद्देश्य

वाष्पयंत्र (बॉयलर) स्टील की प्लेट, ट्यूबों एवं पाइपों से निर्मित एक यंत्र है जिसमें पानी को गरम कर अत्यंत उच्च दाब एवं तापक्रम की वाष्प (स्टीम) का उत्पादन किया जाता है। वाष्पयंत्र का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन के चरणों में ऊष्मा प्रदान करने हेतु किया जाता है। राज्य के विभिन्न उद्योगों में विभिन्न प्रकार के वाष्पयंत्र स्थापित हैं। यदि इन वाष्पयंत्रों का सही उपयोग, उच्च दर्जे का रख-रखाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परिचालन एवं उचित संरचना न हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है जिससे जन-धन की काफी क्षति हो सकती है।

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम-1923 एवं भारतीय बॉयलर विनियम-1950 बनाए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य में लागू करने हेतु राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्थापना की गई है। बॉयलर अधिनियम-1923 व इसके तहत बनाए गए विनियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे।

दिनांक 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कार्य निष्पादन विवरण:-

1. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण :-

क्रं.	विवरण	संख्या
1.	संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय-935, स्वप्रमाणीकरण-58)	993
2.	जलभार परीक्षण	839
3.	नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन	43
4.	वाष्पयंत्रों के प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण	870
5.	वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण-पत्र	57
6.	दुरुस्त हुए वाष्पयंत्र	1325

राज्य में कुल 1563 वाष्पयंत्र स्थापित हैं। जिनमें से कुल 1240 वाष्पयंत्र वर्तमान में कार्यरत हैं। दिनांक 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कुल 993 (लगभग 80.08%) वाष्पयंत्रों के संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय 935 एवं स्वप्रमाणीकरण 58) किये गये हैं।

2. **वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :-** भारत सरकार की Ease of doing business तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014-19 के तहत वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20-03-2015 द्वारा लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बायलर



आपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। वर्तमान में राज्य में स्थापित कुल 26 इकाइयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया जा रहा है। दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में कुल 58 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण हुआ है। वाष्पयंत्रों के प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण एवं नये वाष्पयंत्रों के पंजीयन के ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले प्रपत्रों/ घोषणा पत्र/ शपथ पत्र आदि में नोटरी/ राजपत्रित अधिकारी/ मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

3. बॉयलर अधिनियम - 1923 की धारा 34(2) के तहत छूट :- वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाइयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी-कभी आपात स्थिति में जब इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 34(2) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके। उक्त अवधि में यह छूट किसी इकाई को प्रदाय नहीं की गई है।

4. केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड - मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम-1950 में समय-समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम-1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय-समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13-12-07 द्वारा बॉयलर अधिनियम- 1923 में संशोधन किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 27-05-2008 एवं 07-10-2010 द्वारा उक्त संशोधनों को लागू किया गया है। अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप बॉयलर अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर आपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के राज्य सरकार के अधिकार समाप्त कर भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को ये अधिकार दिये गये हैं।

अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानांतर प्राइवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

5. **बायलर परिचर परीक्षक मंडल -** भारत सरकार द्वारा बनाये गये बायलर परिचर नियम- 2011 के प्रावधानों के तहत बायलर परिचर की क्षमता का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत गठित परीक्षक मंडल द्वारा बायलर परिचर की परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 12-09-2022 से 16-09-2022 तक रायपुर में किया गया। द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर परीक्षा में कुल 441 परीक्षार्थी शामिल हुये जिसमें कुल 336 उत्तीर्ण हुये। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 73.92 रहा। एवं प्रथम श्रेणी बायलर परिचर की परीक्षा में कुल 191 परीक्षार्थी शामिल हुये जिसमें कुल 94 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 49.21 रहा।
6. **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 :-** सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़, रायपुर हेतु अपर संचालक उद्योग को प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वाष्पयंत्र निरीक्षकालय में 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कुल 09 आवेदन प्राप्त हुआ है जिसका निराकरण समयावधि में किया गया।
7. **लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 :-** 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कुल 1014 आवेदन प्राप्त हुये जिसका निराकरण समय सीमा के भीतर किया गया। इससे संबंधित कोई शिकायत या अपील का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
8. **अभियोजन एवं अपील -** 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
9. **बजट एवं वित्तीय स्थिति :-** वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2022-23 में रु. 204.60 लाख का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों एवं स्पेयर निर्माण के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2022-23 हेतु रु. 200.00 लाख के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि में आय-व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	राजस्व प्राप्ति	व्यय	शुद्ध बचत
01.04.2022 से 31.12.2022	470.90 लाख	117.38 लाख	353.52 लाख

प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

- (1) Ease of doing business नीति तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप बायलरों के सेल्फ सर्टीफिकेशन / थर्ड पार्टी इंसपेक्शन की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-2 / 2011 / 11 / (6) दिनांक 20.03.2019 द्वारा एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 22.03.2019 द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कुल 26 इकाइयों द्वारा कुल 58 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण किया गया।
- (2) राजस्व प्राप्ति **रु. 200.00 लाख का लक्ष्य पूर्ण हुआ।** 01-04-2022 से 31-12-2022 तक की अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति रु. 470.90 लाख के विरुद्ध कुल राजस्व व्यय रु. 117.38 लाख हुई जिससे शासन को **रु. 353.52 लाख की शुद्ध बचत हुई।**
- (3) राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 16 इकाइयां स्थापित हैं। इन इकाइयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।
- (4) बॉयलर अधिनियम-1923 के अंतर्गत राज्य में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।
- (5) केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपुर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।



राज्य में बॉयलर आधारित औद्योगिक संयंत्र का दृश्य

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग बोर्ड के संयोजक हैं। जिला समितियों के अध्यक्ष, संबंधित जिले के कलेक्टर तथा मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयोजक हैं।

रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय "राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी" के रूप में निवेशकों के लिए "एकल संपर्क बिन्दु" के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों / विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम-2002 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम-2004 बनाये गये हैं। इस नियम के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों / एजेंसियों से सहमति / अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है।

- (1) राज्य गठन से 31 दिसम्बर, 2018 तक निष्पादित एमओयू में 129 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील है (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012 के तहत निष्पादित एमओयू को छोड़कर), जिसमें कुल रूपये 2,10,431.47 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इनमें से 67 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इन प्रभावशील एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 78,776.36 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।
- (2) 01 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक निष्पादित एम.ओ.यू. में 185 एम.ओ.यू. प्रभावशील है, जिसमें कुल रू. 93,051.57 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,13,813 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें कोर सेक्टर के साथ ही साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस, सोलर आदि परियोजनाएं सम्मिलित है। इनमें से 19 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इन एम.ओ.यू. परियोजनाओं में अभी तक रूपये 4934.21 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है।

वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु 33 एमओयू निष्पादित किए गए हैं, जिसमें लगभग रूपये 6079.65 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।





औद्योगिक इकाई से किए गए एम.ओ.यू. का एक दृश्य

उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम “छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड” गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगमों यथा—(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र.निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार-प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चा माल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों, उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

(1.1) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)			
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
योग:—		2614.053	1691.807
औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)			
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
योग:—		407.703	198.448
औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)			
9	महरूम कला, राजनांदगांव	66.858	—
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी, महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर—गिरवरगंज,	51.237	24.061
13	फूडपार्क बगौद, धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी, कांकेर	53.30	25.86
योग:—		392.39	154.671
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)			
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्डारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा, कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) टेकनार, दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) कॉपन, जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, राजनांदगांव	37.12	13.87
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
27	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक-ए, बी एवं सी), बिलासपुर	24.96	17.91
योग:-		333.696	174.69

(1.2) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIC) :-

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत सरकार के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खम्हरिया	मुंगेली	60	21.15	6.00	15.15
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	14.50	6.00	8.50
4.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61	—	—
5.	जी-जामगांव	धमतरी	24.71	7.67	—	—

प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र :-

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	ग्राम परसिया	मुंगेली	192.02	42.75
2.	ग्राम सेलर	बिलासपुर	95.02	28.48

प्रस्तावित आई.आई.डी.सी. :-

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी-जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(1.3) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(1.3.1) मेटल पार्क - जिला रायपुर

विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में मेटल पार्क विकसित किया गया है ।

(1.3.2) इंजीनियरिंग पार्क - जिला दुर्ग

विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है ।

(1.3.3) इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर - जिला- रायपुर

नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 10 इकाईयों को भूमि आबंटन किया गया है तथा 02 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबंटित इकाईयों में से 05 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है ।



(1.3.4) फूड पार्क - जिला धमतरी

ग्राम बगौद जिला-धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रु. 45.00 करोड़ है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 40 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया चुका है। आबंटित इकाईयों में से 06 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 08 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(2) स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(2.1) नवीन फूड पार्क की स्थापना- राज्य में नॉन-कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु विभिन्न जिलों के 146 विकासखण्डों में से 114 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। शेष विकासखण्डों में भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग को राज्य के 57 विकासखण्डों में भूमि हस्तांतरण आदेश पारित किया गया है व 53 विकासखण्डों की कुल रकबा 630.746 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया है, जिनमें सर्वे एवं डिमार्केशन की कार्यवाही प्रचलन में है। सर्वे एवं डिमार्केशन पश्चात् ग्राम सुकमा जिला-सुकमा में अधोसंरचना विकास का कार्य पूर्ण किया जाकर फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है व चार जिलों में यथा विकासखण्ड छिन्दगढ़, कोन्टा, जिला-सुकमा व तहसील पखंजुर व ग्राम श्यामतराई में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2.2) जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क- रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है। परियोजना की क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा Architectural Consultant की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2.3) प्लास्टिक पार्क :- भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला-रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 44.00 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व प्लास्टिक पार्क का अभिन्यास ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

(3) परीक्षण प्रयोगशाला-भिलाई

सीएसआईडीसी के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन. ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीयस्तर पर मान्य हैं।



(4) लघु उद्योगों को विपणन सुविधा :-

राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित) में संशोधन किये गये हैं। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे। भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट-1 सूची में कुल 73 कैटेगरी (150) की वस्तुएं सूचीबद्ध हैं।

भण्डार क्रय के नियम 4.9 प्रावधान के अधीन राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवचन का मामला नहीं बनें। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है।

भण्डार क्रय के नियम 7.1 प्रावधान के अधीन सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता इकाइयों से ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया वेब-साइट <http://www.csidcmkt.in> से प्राप्त पंजीयन आवेदन के आधार पर सीएसआईडीसी पंजीयन में इकाई को सूचीबद्ध कर निविदा में आवश्यक दस्तावेज यथा CSIDC Vendor Registration Certificate इकाई के पक्ष में जारी किया जाता है। अद्यतन 1315 इकाइयों को CSIDC पंजीयन में सूचीबद्ध किया गया है।

भण्डार क्रय नियम-3 के तहत परिशिष्ट-1 की सूची में उल्लेखित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता करने के उद्देश्य से क्रियान्वित ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई एवं निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई के लिए ई-निविदा प्रकाशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई-निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियाओं अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत उल्लेखित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाइयों के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 30 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में संशोधित छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम (यथा संशोधित 2022) के अधीन सीएसआईडीसी द्वारा भण्डार क्रय नियम-3 के तहत परिशिष्ट-1 सूची में आरक्षित वस्तुओं में से निम्नलिखित वस्तुओं के दरें निर्धारित की गई हैं तथा प्रदायकर्ता इकाइयों के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादित किया गया है :-



वर्ष 2022-23

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	निर्धारित दर एवं दर अनुबंध की दर वैद्यता अवधि	अनुबंधित इकाईयों की संख्या
1	प्रेसर कुकर (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2022 से 10.11.2023	16
2	बारबेड वायर	28.11.2022 से 27.11.2023	59
3	चेन लिंक फैनस फेब्रिक	29.11.2022 से 28.11.2023	57
4	स्टील फर्नीचर्स (जनरल परपस)	19.12.2022 से 18.12.2023	103
5	स्टेनलेस स्टील के बर्तन	19.12.2022 से 18.12.2023	17
6	रोड साईन बोर्ड	05.11.2021 से 04.11.2022	50
7	प्रेसड स्टील शटर एण्ड फ्रेम फॉर डोर व विन्डो स्टील	04.01.2023 से 03.01.2024	01
8	एंगल आयरन फेंसिंग पोल	19.12.2022 से 18.12.2023	04
9	स्टील ट्यूब्स (आई.एस.आई. मार्क)	28.11.2022 से 27.11.2023	06
10	हॉस्पिटल फर्नीचर	24.11.2021 से 23.11.2022	10
11	केरोसीन स्टोरेज टैंक	04.01.2023 से 03.01.2024	01
12	स्टोरेज टैंक (स्टेनलेस स्टील वॉटर टैंक)	04.01.2023 से 03.01.2024	03
13	कंसर्टिना वॉयर	04.12.2021 से 03.12.2022	03
14	वाटर टैंकर	06.12.2021 से 05.12.2022	20
15	ट्रेक्टर ट्रॉली	06.12.2021 से 05.12.2022	05
16	पेन्ट वारनीश और डिस्टेम्पर	02.11.2021 से 01.11.2022	10
17	पॉश फर्नीचर पार्ट-2 (कॉम्पैक्टर)	27.01.2021 से 26.01.2022	07
18	ट्रेविस (फॉर वेटेनरी)	12.01.2022 से 11.01.2023	12
19	पॉश फर्नीचर (जनरल परपस)	16.02.2022 से 15.02.2023	12
20	एल्यूमिनियम के बर्तन	04.08.2022 से 03.08.2023	13
21	सोडियम हाईपोक्लोराईट (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2022 से 10.11.2023	04
22	पी.व्ही.सी. एल्यूमिनियम केबल (आई.एस.आई. मार्क)	22.12.2022 से 21.12.2023	01
23	पी.व्ही.सी. सबमर्सिबल केबल (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2022 से 10.11.2023	01
24	डेजर्ट कूलर (स्टील)	11.11.2022 से 10.11.2023	11
25	फेरिक एलम (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2022 से 10.11.2023	10
26	पी.वी.सी. पाईप (आई.एस.आई.मार्क)	02.11.2021 से 01.11.2022	08
27	युपीवीसी स्क्रीन एण्ड केंसिंग पाईप	29.11.2022 से 28.11.2023	06
28	फिनाईल (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2022 से 10.11.2023	06
29	डीजल जनरेटर सेट (लोवर रेटिंग)	02.01.2023 से 01.01.2024	04
30	डीजल जनरेटर सेट (हायर रेटिंग)	02.01.2023 से 01.01.2024	04
31	फायर एक्सटिंग्यूशर	11.11.2021 से 10.11.2022	09
32	रूम कुलर डेजर्ट टाईप (प्लास्टिक बॉडी)	11.11.2021 से 10.11.2022	03
33	ब्लीचिंग पावडर (आई.एस.आई. मार्क)	11.11.2021 से 10.11.2022	09
34	ट्राई सायकल (गारबेज कन्टेनर्स)	09.01.2023 से 08.01.2024	05
35	राजमिस्त्री औजार किट	08.06.2022 से 07.06.2023	10
36	कारपेंटर औजार किट	03.06.2022 से 02.06.2023	08
37	पेंटर औजार किट	03.06.2022 से 02.06.2023	05

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	निर्धारित दर एवं दर अनुबंध की दर वैधता अवधि	अनुबंधित इकाईयों की संख्या
38	सेफटी टूल किट पार्ट-1 (हैलमेट)	03.06.2022 से 02.06.2023	02
39	सेफटी टूल किट पार्ट-2 (हारनेस, कॉटन प्लग)	03.06.2022 से 02.06.2023	02
40	सेफटी टूल किट पार्ट-4 (स्टिल टू सुलेदर)	03.06.2022 से 02.06.2023	02
41	सेफटी टूल किट पार्ट-5 (सेफटी सू गमबुट)	03.06.2022 से 02.06.2023	03
42	प्लंबर औजार किट	06.06.2022 से 05.06.2023	08
43	रेजा कुली औजार किट	20.06.2022 से 19.06.2023	10
44	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट-प्लॉस्टिक वेयर	27.06.2022 से 26.06.2023	26
45	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट- ग्लासवेयरर्स	28.06.2022 से 27.06.2023	26
46	ई-रिक्शा (ई-कार्ट) गारबेज कंटेनर्स पार्ट - 1	30.06.2022 से 29.06.2023	03
47	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट- माइक्रोस्कोप (आई.एस.आई. मार्क)	01.07.2022 से 30.06.2023	03
48	एच.डी.पी.ई. पी.पी. बैग (आई.एस.आई.मार्क)	23.06.2022 से 22.06.2023	04
49	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट एण्ड अपेरेटस	04.08.2022 से 03.08.2023	27
50	बैटरी (फॉर यू.पी.एस)	05.08.2022 से 04.08.2023	02
51	सेफटी टूल किट पार्ट-3 (गॉगल्स)	26.08.2022 से 25.08.2023	03
52	हैण्ड पंप (आई.एस.आई.मार्क)	29.11.2022 से 28.11.2023	03
53	हैण्ड पंप स्पेयरर्स (आई.एस.आई.मार्क)	29.11.2022 से 28.11.2023	04
54	मल्टी जिम	21.12.2022 से 20.12.2023	10
55	पी.यू फोम मैट्रेसेस एण्ड पिलो	29.11.2022 से 28.11.2023	11
56	व्यायाम उपकरण	11.11.2021 से 10.11.2022	44
57	ड्रीकिंग वाटर कूलर (आई.एस.आई.मार्क)	28.12.2022 से 27.12.2023	04
58	प्लॉस्टिक मोल्डेड फर्नीचर	11.11.2021 से 10.11.2022	11
59	बायोडिग्रेडेबल फिल्म फॉर बैग (नर्सरी)	11.11.2021 से 10.11.2022	04
60	सी.सी. टीवी सिक्क्यूरिटी कैमरा	04.01.2023 से 03.01.2024	22
61	कंट्रोल पैनल	18.11.2021 से 17.11.2022	06
62	तारपोलिन एच.डी.पी.ई	05.01.2023 से 04.01.2024	01
63	सीलिंग फेन (आई.एस.आई.मार्क)	04.01.2023 से 03.01.2024	04
64	एल.ई.डी. टीवी	22.11.2021 से 21.11.2022	03
65	एल.डी.पी.ई. फिल्म (आई.एस.आई.मार्क)	23.12.2022 से 22.12.2023	01
66	एल.डी.पी.ई. केप कव्हर (आई.एस.आई.मार्क)	23.12.2022 से 22.12.2023	05
67	एयर कंडीशनर	02.01.2023 से 01.01.2024	07
68	युपीएस सिस्टम	10.01.2023 से 09.01.2024	06
69	एच.डी.पी.ई. पाईप (आई.एस.आई.मार्क)	30.11.2021 से 29.11.2022	14

अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	निर्धारित दर एवं दर अनुबंध की दर वैधता अवधि	अनुबंधित इकाईयों की संख्या
70	कम्प्यूटर सिस्टम (डेस्कटॉप)	05.01.2023 से 04.01.2024	06
71	कम्प्यूटर सिस्टम (लेपटॉप)	05.01.2023 से 04.01.2024	06
72	इलेक्ट्रिक वेईंग स्केल फॉर चाईल्ड	04.01.2023 से 03.01.2024	04
73	सायकल (आई.एस.आई.मार्क-7 पार्ट्स)	05.11.2021 से 04.11.2022	10
74	सबमर्सिबल पंप सिंगल फेस (आई.एस.आई.मार्क)	16.12.2020 से 15.12.2021	19
75	सबमर्सिबल पंप थ्री फेस (आई.एस.आई.मार्क)	16.12.2020 से 15.12.2021	17
76	एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टैंक (आई.एस.आई.मार्क)	11.01.2022 से 10.01.2023	03
77	ड्रीप सिस्टम	20.01.2022 से 19.01.2023	02
78	मेकेनिकल एडल्ट वेईंग स्केल (प्लेटफार्म)	21.01.2022 से 20.01.2023	02
79	मेकेनिकल बेबी वेईंग स्केल (हेंगिंग)	21.01.2022 से 20.01.2023	04
80	मल्टीमिडिया प्रोजेक्टर	16.02.2022 से 15.02.2023	10
81	प्लान्ट फ्रुट्स	22.02.2022 से 21.02.2023	18
82	प्लान्ट (जनरल)	22.02.2022 से 21.02.2023	18
83	प्री-स्कूल किट	23.03.2022 से 22.03.2023	34
84	कॉयर मेट्रेसेस, पिलो, कुशन	30.03.2022 से 29.03.2023	13
85	स्पीकलर (पाईप विथ कपलर एण्ड फिटिंग पॉलिथेन पाईप) आई.एस.आई.मार्क	09.05.2022 से 08.05.2023	03
86	एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड	07.06.2022 से 06.06.2023	04
87	ग्रीन नेट/सेड नेट (आई.एस.आई. मार्क)	07.06.2022 से 06.06.2023	02
88	स्कूल स्पोर्ट्स एवं इक्युपमेंट	22.06.2022 से 21.06.2023	48
89	पोलीथीन बैग	25.07.2022 से 24.07.2023	09
90	ग्रीन हाऊस/पॉली हाऊस	02.08.2022 से 01.08.2023	06
91	फायर ब्लोवर (आई.एस.आई. मार्क)	29.11.2022 से 28.11.2023	03
92	प्लास्टिक प्रोडक्ट (बकेट, बिन्स, प्लान्टर, वाटर स्टोरेज टैंक)	01.09.2022 से 31.08.2023	30
93	फोटो कॉपीयर	16.08.2022 से 15.08.2023	27
94	आर.सी.सी.फेंसिंग पोल	05.12.2022 से 04.12.2023	70
95	आर.सी.सी. बाउंड्री कि.मी. एण्ड गार्ड स्टोन	29.11.2022 से 28.11.2023	05
96	मास्कटो नेट	29.11.2022 से 28.11.2023	23
97	स्टील ट्री गार्ड	29.11.2022 से 28.11.2023	10
98	रोलअप बोर्ड	29.11.2022 से 28.11.2023	02
99	सिलाई मशीन (आई.एस.आई.मार्क)	29.11.2022 से 28.11.2023	17
100	व्हाईट/ब्लेक/ग्रीन बोर्ड	01.12.2022 से 30.11.2023	12



अनुक्रमांक	आरक्षित वस्तुओं का नाम	निर्धारित दर एवं दर अनुबंध की दर वैद्यता अवधि	अनुबंधित इकाईयों की संख्या
101	ट्रायसायकल (आई.एस.आई.मार्क)	11.11.2021 से 10.11.2022	05
102	पलाई ऐश ब्रिक्स	01.12.2022 से 30.11.2023	15
103	आरसीसी फेंसिंग पोल (प्री स्ट्रेस)	20.12.2022 से 19.12.2023	03
104	स्कूल चॉक	17.11.2021 से 16.11.2022	03
105	आर.सी.सी. ह्यूम पाईप	04.01.2023 से 03.01.2024	01
106	क्लोरीन टेबलेट (आई.एस.आई.मार्क)	10.01.2022 से 09.01.2023	03
107	एल.ई.डी. लाईट (आई.एस.आई.मार्क)	21.02.2022 से 20.02.2023	25
108	सेनेटरी पेड	24.03.2022 से 23.03.2023	15
109	सेनेटरी पेड वेंडिंग मशीन	24.03.2022 से 23.03.2023	18
110	सेनेटरी पेड इनसिनरेटर मशीन	24.03.2022 से 23.03.2023	18
111	ट्री गार्ड (आर.सी.सी.)	03.06.2022 से 02.06.2023	03
कुल अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयां			1340



क्राफ्ट पेपर आधारित औद्योगिक इकाई का एक दृश्य

ई-मानक पोर्टल से शासकीय खरीदी :-



भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट-1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं की निर्धारित दर एवं दर अनुबंध में अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयों का प्रकाशन राज्य में शासकीय खरीदी के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए ई-मानक (e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh) से किया जा रहा है। ई-मानक पोर्टल की वेब-साइट <http://ceps.cg.gov.in> है।

ई-मानक पोर्टल की अद्यतन जानकारी :-

(01.10.2019 से 11.01.2023 की स्थिति में)

		कुल संख्या
पंजीयन	विभाग प्रमुख	671
	क्रयकर्ता अधिकारी	4336
	सामग्री प्राप्तकर्ता अधिकारी	4494
	भुगतानकर्ता अधिकारी	3966
	प्रदायकर्ता इकाईयों	1099
शासकीय खरीदी कुल (रु)		1976.55 करोड़

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) के अनुसार जेम (GeM: Government eMarketplace) के माध्यम से शासकीय खरीदी :-

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के अनुसार भण्डार क्रय नियम 3 के तहत परिशिष्ट-1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं के अतिरिक्त, अनारक्षित वस्तुएं भण्डार क्रय नियम 4 के अनुपालन में भण्डार क्रय नियम 4.3.3 में परन्तु वे वस्तुये जिनकी दर एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse Auction) से आवश्यकतानुसार क्रय कर सकेगा का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार की संस्था जेम (GeM: Government eMarketplace) एवं राज्य शासन के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा सामग्री का क्रय जेम (GeM) के माध्यम से किया जा रहा है। जेम पोर्टल (GeM: Government eMarketplace) के संस्करण 2.0 एवं 3.0 से शासकीय खरीदी की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

जेम पोर्टल में पंजीयन		
1	प्रायमरी यूजर (शासकीय विभाग / उपक्रम की संख्या)	1071
2	सेकेण्डरी यूजर (शासकीय विभाग / उपक्रम की संख्या)	3146
3	विक्रेताओं (एम.एस.एम.ई. एवं सामान्य इकाईयों की संख्या)	7713
जेम पोर्टल में प्रशिक्षण		
1	क्रयकर्ता विभाग के अधिकारी / कर्मचारी की संख्या	5961
2	विक्रेता / प्रतिनिधि (एमएसएमई) एवं सामान्य इकाईयों की संख्या	719

जेम पोर्टल (GeM: Government eMarketplace) में शासकीय सामग्री की प्रक्रिया के लिए सीएसआईडीसी में संचालित जेम सेल के अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार राज्य शासन के विभागों में जेम कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार जेम क्रय प्रक्रिया में क्रेता विभागों से प्राप्त पृच्छाओं / कठिनाईयों का समय-समय पर निराकरण किया जाता है।

(5) कौशल उन्नयन गतिविधियां

(5.1) अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर

रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(5.2) बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण

- बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित है।
- इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा।
- प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैनुफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।



(5.3) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई-दुर्ग

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा "टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम" के अंतर्गत लगभग रु. 112 करोड़ की लागत से बोरई, जिला-दुर्ग में टूल रूम की स्थापना की गई। इस संस्थान में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(5.3) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट ("सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापना की गई है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

(6) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना :-

आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट राशि रु. 16.52 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश का है। इस वित्तीय वर्ष में रु. 9.91 करोड़ केन्द्रांश तथा रु. 6.61 करोड़ राज्यांश कुल राशि रु. 16.52 करोड़ प्राप्त हो चुका है।

योजना के अंतर्गत 126 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 47 लाभार्थियों को राशि रु. 1.19 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है। योजना में SRLM के SHGs के 8,146 सदस्यों को राशि रु. 8.32 करोड़ एवं SULM के SHGs के 498 सदस्यों को राशि रु. 1.27 करोड़ सीड कैपिटल हेतु वितरित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण के लिए दो इन्क्यूबेशन सेंटर रायपुर एवं जगदलपुर में स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी।





PMFME योजना के अंतर्गत इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, रायपुर में पास्ता प्रोसेसिंग लाइन और पास्ता पैकेट का ट्रायल रन



PMFME योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2022 को रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन



PMFME योजना के अंतर्गत दिनांक 23-25 अगस्त 2022 को धमतरी में हितग्राही प्रशिक्षण आयोजित

(7) बायो एथेनाल इकाईयों की स्थापना

वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनाल संयंत्र की स्थापना हेतु 33 एमओयू निष्पादित किए गए हैं, जिसमें लगभग रूपये 6079.65 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

(8) निगम की वर्ष 2022-23 में व्यावसायिक गतिविधियां

(8.1) लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :-

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित	—	3072
सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण आय	—	रु 14.33 लाख

(8.2) फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन:-

अ— फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रु. 258.90 लाख
	विक्रय	रु. 254.95 लाख
ब— कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रु. 416.45 लाख
	विक्रय	रु. 405.68 लाख

(8.3) ऑनलाईन भुगतान सुविधा:-

सीएसआईडीसी द्वारा भू-आबंटी इकाईयों से भू-आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

(8.4) भू-आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना

दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू-प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया आनलाईन की जा रही है।

(8.5) जल-आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र सुविधा

इकाईयों को जल-आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है।

(8.6) औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है।



(9) अन्य अधोसंरचना

● सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर

राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान-108/कार्यालय-12/रेस्टॉरेंट-1) निर्मित है जिसमें 78 आबंटित है एवं 43 रिक्त हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

● व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर

राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान-11/कार्यालय-4/बैंक एटीएम-1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

● व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद

राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें 3 आबंटित है और 7 दुकान रिक्त है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

● वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर

राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। भूतल में 2 दुकान एवं 1 ऑफिस कार्यालय रिक्त है। रिक्त दुकानों/कार्यालय के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

● उद्योग भवन, रायपुर

राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, तृतीय तल पर एमएसटीसी लि., ई.सी.जी.सी. लि., फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यालय हेतु मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (बॉयलर) एवं सीएसआईडीसी तकनीकी कक्ष रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।



- **सीएसआईडीसी कार्पोरेट टॉवर, रायपुर**
राज्य के रायपुर जिले में जी + 5 तल का कार्पोरेट भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर दुकान क्र. 5 से 8 कुल 4 दुकाने छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कार्पोरेशन को मासिक किराये पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दुकाने एवं तलों को किराया / लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **प्रशासनिक भवन, डीडीयू नगर, रायपुर**
राज्य के रायपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय नगर में जी + 5 तल का प्रशासनिक भवन को किराया / लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम**
राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन / किराये पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर**
राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में दो गोडाउन निर्माण किया गया है जिसे किराये पर दिया गया है।
- **मेटल पार्क, रायपुर**
राज्य के रावाभांटा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेटल पार्क में पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु आरक्षित भूमि 33767 वर्गफीट के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर**
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस हेतु आरक्षित 8000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर**
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र उरला व्यावसायिक परिसर रायपुर में दो दुकान, सीएफसी बिल्डिंग, फिल्ड हॉस्टल के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **इंजीनियरिंग पार्क / औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई**
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई में वेब्रिज हेतु दो भूमि एवं रेस्टॉरेंट / फूड जोन हेतु भूमियों के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।



- **इंजीनियरिंग पार्क / औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई**
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र कापन, जांजगीर-चांपा में बैंक परिसर हेतु हॉल के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **डीटीआईसी बिल्डिंग, दुर्ग**
राज्य के दुर्ग जिले में जी + 2 तल का प्रशासनिक भवन को किराया / लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा**
राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा में उपलब्ध छः दुकान के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(10) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात-निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात-निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागतरु. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ-साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्डीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(11) अन्य मुख्य कार्यकलाप

विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश-विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना,



नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

(12) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2022 में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	160
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	150
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	10
प्रथम अपील		
1.	प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	14
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	14
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	0




जिला- बेमेतरा में खाद्य प्रसंस्करण आधारित (आटा, मैदा, सूजी) औद्योगिक इकाई एक दृश्य



वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)

राज्य में रेलवे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1186 कि.मी. का रेलवे नेटवर्क था। वर्तमान में नवीन 134 किलोमीटर रेलवे लाइन निर्माण के पश्चात राज्य में रेलवे की कुल लंबाई 1320 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं, का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है।



वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेलवे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है-

(1) ईस्ट रेल कॉरीडोर -

ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू-अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत प्रगति पर है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया-धरमजयगढ़- घरघोड़ा-डोंगा महूआ, (131 कि. मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशनों (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरुनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) स्थापित होगी। इसकी परियोजना लागत रुपये 3054.24 करोड़ है। इस चरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके प्रथम चरण में खरसिया से धरमजयगढ़ लगभग 74 किमी तक रेल लाईन बिछाई जाकर मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

छाल और भालुमुण्डा के लिए रेलवे से मालगाड़ी का परिचालन की अनुमति मिल चुकी है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य 62.5 किमी लंबाई में रुपये 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर-

ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत रुपये 4970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु संपूर्ण 135 कि.मी. में भू-अधिग्रहण की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है।

ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गोवरा-पेण्ड्रा रोड, उरगा-कुसमुण्डा (138 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशनों (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होगी।



उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ-साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ-साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

(3) दल्ली राजहरा-रावघाट रेललाईन परियोजना -

इस परियोजना में रेलवे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से प्रथम 60 किमी. तक रेललाईन का निर्माण किया जाकर दल्ली राजहरा-अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रुपये 1622.02 करोड़ है। रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

(4) रावघाट-जगदलपुर परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रु. 2538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनी - बस्तर रेलवे प्रा.लि. गठित हो चुकी है।

रावघाट-जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेलवे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

(5) चिरमिरी- नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रु. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है।

चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

(6) छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित रेल परियोजना -

राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी "छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड" गठित की



गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है एवं भारत सरकार की सहभागिता 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाएँ की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी।

1. डोंगरगढ़ –खैरागढ़ –कवर्धा–मुगेली–कोटा–कटघोरा, 295 कि.मी. रेल मंत्रालय से डी.पी. आर. अनुमोदित, परियोजना लागत रू. 5950 करोड़, एस.पी.वी हेतु सी.आर.सी.एल, महाजेनको एवं ए.सी.बी.आई.एल के मध्य सहमति, एस.पी.वी छत्तीसगढ़ कटघोरा–डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड गठित रेल मार्ग हेतु सर्वे किया जाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। जन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एक भाग में एलाइनमेंट में संशोधन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य पूर्ण। परियोजना की स्वीकृति संशोधित एलाइनमेंट के साथ प्रदान करने हेतु माननीय रेलमंत्री, भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
2. खरसिया–बलौदाबाजार–नया रायपुर–परमालकसा (दुर्ग) 325 कि.मी. रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त, संभावित परियोजना लागत रू. 8258 करोड़। डीपीआर रेल मंत्रालय को प्रेषित किया जा रहा है। एस.पी.वी. हेतु संभावित हितधारकों से विचार–विमर्श जारी।
3. अंबिकापुर–बरवाडीह 182 कि.मी.। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण। परियोजना में एकमात्र हितधारक मेसर्स एस.ई.सी.एल. द्वारा एस.पी.वी. में निवेश करने में असमर्थता व्यक्त की गई। रेलवे बोर्ड द्वारा एस.ई.सी.आर. को फाईनल लोकेशन सर्वे करने निर्देशित।
अतः यह कार्य छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हित की गई रेल परियोजनाओं की सूची से हटाया गया।
4. कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मतीन तक– 65 किमी.। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण। परियोजना का एलाइनमेंट तथा संबंधित कोल ब्लॉक लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र में आ जाने के कारण यह कार्य छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हित की गई रेल परियोजनाओं की सूची से हटाया गया।



सार्वजनिक उपक्रम विभाग

दायित्व एवं कर्तव्य

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली से संबंधित पथ-प्रदर्शन के व्यवस्थापन, सामान्य समस्याएं एवं रिपोर्टिंग पद्धतियों के समन्वयन का कार्य किया जाता है। राज्य में कुल 25 सार्वजनिक उपक्रम कार्यशील हैं। जिनकी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यरत होने की तिथि
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 नवम्बर 1981
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
6	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
7	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	26 फरवरी 2001
8	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	13 मार्च 2001
9	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	01 मई 2001
10	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 जून 2001
11	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर	02 मई 2002
12	छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	19 जुलाई 2004
13	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	27 जुलाई 2005
14	सीएमडीसी. आईसीपीएल. कोल लिमिटेड रायपुर	11 अप्रैल 2008
15	सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कॉलिरिज लिमिटेड	06 दिसम्बर 2010
16	छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 दिसंबर 2010
17	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 नवम्बर 2011
18	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	14 दिसंबर 2011
19	छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	11 नवम्बर 2014
20	रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 सितंबर 2016
21	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर	19 सितंबर 2016
22	छ.ग. रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	07 दिसम्बर 2016
23	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	23 फरवरी 2017
24	नया रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायपुर	16 सितंबर 2017
25	छत्तीसगढ़ रूरल हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	15 मार्च 2018

भाग-2

बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उद्योग विभाग के अंतर्गत आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है, यह बजट मांग संख्या-11, मांग संख्या-41 तथा मांग संख्या-64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2022-23 का योजनावार बजटीय प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार है :-

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या-11 के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग संचालनालय को आबंटित मद में से कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा अन्य कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाता है।

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 (लाख में)	दिसम्बर 2022 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना	10.00	10.00
2	11-6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	3000.00	2996.32
3	41-6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	700.00	668.96
4	64-6857	उद्योगों को व्याज अनुदान	200.00	200.00
		योग-	3900.00	3865.28
5	7825	स्टार्टअप छत्तीसगढ़	200.00	100.10
6	1464	जिला उद्योग केन्द्र (2851) NonPlan	2803.20	2803.20
7	1175	ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	10.00	10.00
8	3370	संचालनालय उद्योग (2852) NonPlan	1665.25	1665.25
9	5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना (SIPB)	75.00	75.00
10	7957	छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास संस्थान	100.00	100.00
11	4826	आई.एस.ओ. 9000 के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति	1.00	0.00
12	5447	तकनीकी पेटेंट अनुदान	0.10	0.00
13	5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	0.10	0.00



क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 (लाख में)	दिसम्बर 2022 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
14	5450	समूह आधारित उद्योगों का विकास (टेस्टिंग लैब भिलाई)	0.10	0.00
15	11-5451	अंशपूंजी सहायता योजना	300.00	300.00
16	41-5451	अंशपूंजी सहायता योजना	75.00	75.00
17	64-5451	अंशपूंजी सहायता योजना	130.00	71.90
		योग-	505.00	446.90
18	6475	छ.ग. औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान	1.00	0.00
19	711	औद्योगिक परियोजना तथा सर्वेक्षण की योजना	1.00	1.00
20	7742	इनवायरमेंट मेनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान	0.10	0.00
21	7743	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान	0.10	0.00
22	7744	निःशक्तजन रोजगार अनुदान	0.10	0.00
23	11-8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	150.00	134.14
24	41-8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	115.00	103.08
25	64-8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	36.00	24.30
		योग-	301.00	261.52
26	11-9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	6400.00	6400.00
27	41-9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	2600.00	2600.00
28	64-9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	1000.00	1000.00
		योग-	10000.00	10000.00



क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 (लाख में)	दिसम्बर 2022 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
29	11-5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852)	2000.00	2000.00
	11-5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (4851)	1000.00	1000.00
		योग-	3000.00	3000.00
30	41-5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (2852)	1560.00	1560.00
	41-5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना (4851)	500.00	500.00
		योग-	2060.00	2060.00
31	7784	निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्को के लिये अधोसंरचना अनुदान	1.00	0.00
32	7785	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	1.00	0.00
33	8890	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1400.00	1400.00
34	6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	4734.00	4734.00
36	7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00	70.00
37	8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	150.00	150.00
38	9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	2000.00	2000.00
39	5586	निर्यात अधोसंरचना विकास के लिए सहायता (ASIDE)	0.10	0.00
40	6377	फूड पार्क की स्थापना	5000.00	5000.00
41	6381	जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना	100.00	100.00
42	6742	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान	500.00	500.00
43	6888	छत्तीसगढ़ ब्यापार केन्द्र की स्थापना	0.10	0.00
44	7480	जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना	100.00	100.00
45	7909	औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार	300.00	300.00



क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2022-23 (लाख में)	दिसम्बर 2022 तक आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
46	8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य (26-006 वृहद निर्माण)	1000.00	1000.00
	8983	34- वाहनो का क्रय, 001-प्रतिस्थापन	14.00	14.00
47	9219	भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान		
	#15	डिक्रीधन का भुगतान	5.00	5.00
	#31	क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	910.00	910.00
48	9220	सर्वे तथा डिमार्केशन	5.00	5.00
49	5451	अंशपूजी सहायता योजना	0.10	0.00
		महायोग-	40923.35	40686.25



छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, 2022 में विभागीय स्टॉल का एक दृश्य

भाग – 3 योजनाएं

1 राज्य योजनाएं

1.1 औद्योगिक नीति 2019-24 :-

राज्य के औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 में निम्नानुसार औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाएँ रखी गई है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

1 ब्याज अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योग के लिए प्राप्त किये गये ऋण पर निम्नलिखित अनुसार ब्याज अनुदान देय होगा :-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	40	10	6	50	15	7	50	20
	ब	6	45	15	7	50	20	8	50	25
	स	7	55	25	8	60	30	9	60	35
	द	8	65	30	10	70	40	11	70	45
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	25	20	5	35	30	6	35	35
	ब	5	30	30	5	40	40	7	40	45
	स	7	50	40	8	60	50	9	60	55
	द	8	60	40	10	70	50	11	70	55

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर) देय होगा –



उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	35	35	40	60	45	65
	ब	35	40	40	65	45	70
	स	35	60	35	80	40	90
	द	45	70	40	90	45	100
मध्यम उद्योग	अ	30	60	35	70	40	80
	ब	35	70	40	80	45	90
	स	35	80	45	100	45	110
	द	40	100	45	110	50	120

- टीप : (1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।
- (2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

3 नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु :-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-अ परिशिष्ट -7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 35 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-ब परिशिष्ट -7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी-स परिशिष्ट -7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत
श्रेणी-द परिशिष्ट -7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये सकल राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

टीप : 1 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगो अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिए मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी ।

2 इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक की पात्रता होगी ।



4 विद्युत शुल्क से छूट :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित "पात्र नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योग के विस्तार/विद्यमान उद्योग के शक्तीकरण" को विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :-

अ- सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर) उद्योग :-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-अ परिशिष्ट-7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 04 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-ब परिशिष्ट-7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-स परिशिष्ट-7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-द परिशिष्ट-7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप – केप्टिव उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

ब- कोर सेक्टर की मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा उद्योग -

इन नियमों में अन्यथा वर्णित नवीन पात्र इकाईयों को केवल स्वयं के खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी –

1	श्रेणी अ (परिशिष्ट-7 (अ))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट
2	श्रेणी ब (परिशिष्ट-7 (ब))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक पूर्ण छूट

3	श्रेणी स (परिशिष्ट-7 (स))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक पूर्ण छूट
4	श्रेणी द (परिशिष्ट-7 (द))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप- केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

5 स्टाम्प शुल्क से छूट :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा समस्त मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को (कोर सेक्टर के उद्योग सहित) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी :-

- 5.1 (अ)** भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर एवं हस्तांतरण से संबंधित भूमि लीज के विलेखों पर (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।
- (ब)** ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।
- 5.2** औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भू-खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर, (माइनिंग लीज की भूमि को छोड़कर)।
- 5.3** भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर एवं इनमें स्थापित होने वाले उद्योग।
- 5.4** औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक भू-खण्ड/औद्योगिक प्रयोजनों, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा क्रय/लीज पर ली जाने वाली भूमि पर।
- 5.5** बंद/बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर क्रय-विक्रय से संबंधित विलेखों पर।
- 5.6** फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर।
- 5.7** लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली गई भूमि पर।

6 मंडी शुल्क से छूट :-

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य के मंडियों / सीधे उत्पादनकर्ता कृषक / इकाई / राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रु. 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% से अधिक नहीं होगी।

7 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :-

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

8 भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित केवल पात्र नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भू-उपयोग परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन होने पर) अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।


निजी औद्योगिक क्षेत्रों / पार्कों को न्यूनतम 25 एकड़ भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुर्ननिर्धारण से 90 प्रतिशत छूट होगी।

परन्तु यह कि सरगुजा व बस्तर संभाग में निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 20 एकड़ भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुर्ननिर्धारण से 90 प्रतिशत छूट होगी।

9 औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू-आवंटन सेवा शुल्क में रियायत :-

औद्योगिक प्रयोजनार्थ (भूमि बैंक) हेतु निजी भूमि के अर्जन एवं शासकीय भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में उद्योग विभाग / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निजी भूमि के अर्जन / शासकीय भूमि के आवंटन के लिए प्राप्त किए जाने वाले सेवा शुल्क निम्नानुसार रहेंगे –

- क – निजी भूमि के अर्जन हेतु जिला प्रशासन को देय भू-अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि,
- ख – निजी / शासकीय भूमि के आवंटन पर भूमि अर्जन के मूल्य के बराबर की राशि पर 10 प्रतिशत राशि,



10 अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :-

(केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों/उद्यमों के लिए) –

10.1 उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रूपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।

10.2 औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लाट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा। आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।

10.3 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम-2015" में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

11 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई0एस0ओ0- 9000, आई0एस0ओ0-14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण, जेड (ZED) प्रमाणीकरण उर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बी.ई.ई.), नवीन एवं नवकरणीय उर्जा के क्षेत्र में एल.ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 5 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रत्येक प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।



12 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 10 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

13 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :-

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

14 मार्जिन मनी अनुदान :-

राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग एवं निःशक्तजन वर्ग के उद्यमियों द्वारा रु. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जावेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 50 लाख होगी।

15 औद्योगिक पुरस्कार योजना :-

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः रूपये 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा –

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग
5. स्टार्टअप इकाईयां

16 दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान :-

निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से वर्गीकृत समस्त श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद तथा समस्त मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (कोर सेक्टर सहित) को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की



40 प्रतिशत अनुदान की राशि की अनुदान प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रूपये पांच लाख वार्षिक की सीमा तक की जायेगी।

17 इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)-

17.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रबंधन की दृष्टि से यदि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाती है, जिससे कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है एवं कार्बन फुटप्रिंट कम होता है तो ऐसे प्रत्येक तकनीक पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा।

17.2 विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा कार्बन क्रेडिट के संबंध में दिये जाने वाले अनुदानों की प्राप्ति हेतु कंस्लटेन्ट्स को सूचीबद्ध किया जायेगा।

18 परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) :-

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 20 लाख रूपये प्रतिवर्ष होगी, अधिकतम 05 वर्ष तक होगी।

19 मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेज

“मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति प्रकरण के आधार पर प्रोत्साहन पैकेज की अनुमति प्रदान करेगी।”

मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु न्यूनतम पैकेज इस नीति में उल्लेखित निवेश व पात्रता के अनुसार होगी, इससे अधिक औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु इकाईयों की मांग पर उपरोक्तानुसार कैबिनेट समिति विचार कर निर्णय लेगी।

20 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत”

सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पात्र उद्योगों को उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू आबंटन में भू-प्रीमियम पर निम्नलिखित तालिका में वर्णित विवरण अनुसार छूट दी जायेगी :-



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग –

क्र.	क्षेत्र	उच्च प्राथमिकता उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	सामान्य उद्योग
1	श्रेणी-अ (विकसित क्षेत्र परिशिष्ट-7 (अ))	भू-प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 20 प्रतिशत	निरंक
2	श्रेणी-ब (विकासशील क्षेत्र परिशिष्ट-7 (ब))	भू-प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 30 प्रतिशत	निरंक
3	श्रेणी-स (पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट-7 (स))	भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 40 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 30 प्रतिशत
4	श्रेणी-द (अति पिछड़ा क्षेत्र परिशिष्ट-7 (द))	भू-प्रब्याजि में 60 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 50 प्रतिशत	भू-प्रब्याजि में 40 प्रतिशत

21 छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज :-

छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019-24 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के तहत "स्टार्टअप पैकेज" को नियमानुसार लागू करता है :-

1. परिभाषाएं :-

स्टार्टअप की वही परिभाषा मान्य होगी, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2019 को अधिसूचित की गई है। इसके अनुसार किसी एकक / इकाई को निम्नानुसार स्टार्टअप माना जायेगा :-

- (क) उसके निगमीकरण / पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक, यदि यह भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित) के रूप में निगमित हो अथवा एक भागीदार फर्म (भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) के रूप में पंजीकृत हो अथवा एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) के रूप में पंजीकृत हो।
- (ख) निगमीकरण / पंजीकरण के समय से किसी भी वित्तीय वर्ष में एकक / इकाई का कुल कारोबार सौ करोड़ रूपए से अधिक न हो।
- (ग) यदि यह उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के अभिनवीकरण, विकास या सुधार के संबंध में कार्य कर रही है अथवा यह रोजगार सृजन या धन की सृजन की उच्च संभावना वाला एक स्केलेबल व्यावसायिक मॉडल है।

पूर्व से विद्यमान किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी एकक/इकाई को 'स्टार्टअप' नहीं माना जाएगा।

2 स्पष्टीकरण :-

- कोई एकक/इकाई अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में कारोबार 100 करोड़ रुपये से अधिक होने पर "स्टार्ट अप" के रूप में नहीं माना जाएगा।
- एकक/इकाई का अर्थ है – कोई निजी लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत)।
- कारोबार का अर्थ, कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित (भारत सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषा में किये जाने वाले संशोधन सहित) किए अनुसार मान्य होगी।
- भारत सरकार के उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही मान्य किया जाएगा।
- औद्योगिक नीति 2019–24 में दिए गये प्रावधान अनुसार राज्य की स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करने के पूर्व छत्तीसगढ़ स्टार्टअप पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध प्रमाण पत्र धारित करने वाले स्टार्टअप इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका 12 में दिए गए प्रावधानों के तहत स्टार्टअप पैकेज लागू किया जाता है तथा ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019–24 के तहत निम्न अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगी :-

1. ब्याज अनुदान

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	7	50	20
	ब	8	50	25
	स	9	60	35
	द	11	70	45



उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु लाख में)
मध्यम वृहद उद्योग	अ	6	35	35
	ब	7	40	45
	स	9	60	55
	द	11	70	55

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	अनुदान की मात्रा	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रु लाख में)
सूक्ष्म उद्योग	अ	35	15
	ब	40	18
	स	45	20
	द	55	24

3. नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति-

(केवल लघु, मध्यम स्टार्टअप इकाईयों हेतु)

क्षेत्र की श्रेणी	प्रतिपूर्ति का विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत
ब	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
स	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 प्रतिशत
द	वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

4. विद्युत शुल्क छूट :-

क्षेत्र की श्रेणी	विवरण
अ	वाणिज्यिक उत्पादन / कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष तक पूर्ण छूट
ब	वाणिज्यिक उत्पादन / कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
स	वाणिज्यिक उत्पादन / कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष तक पूर्ण छूट
द	वाणिज्यिक उत्पादन / कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

5. भूमि के क्रय / लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट ।
6. सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट ।
7. (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,
- (2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 05 लाख ।
- (3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– पेटेंट प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।
- (4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– प्रौद्योगिकी क्रय हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10 लाख ।
- (5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्ट अप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रु 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा ।
- (6) राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– छत्तीसगढ़ के स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त एक अथवा अधिक राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार / वर्कशॉप / संगोष्ठी / प्रदर्शनी में भाग लिये जाने पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक बार में देश में रु. 15,000 / – एवं देश के बाहर रु. 30,000 / – तथा रु. 1,00,000 / – प्रतिवर्ष की सीमा तक होगी ।



8. उद्योग विभाग / सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर सभी स्टार्ट अप को भू-प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट ।
9. छत्तीसगढ़ में लगने वाले स्टार्ट अप को प्रारंभिक वर्षों के लिये श्रम कानूनों में Self Certification के द्वारा अनुपालन की व्यवस्था लागू की जावेगी ।
10. स्टार्टअप पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019-24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :-

10.1 किराया अनुदान – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले **स्टार्ट अप इकाईयों** को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, किराए के भवन में स्टार्ट अप एकक / इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रु. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम राशि रु. 8000 / – की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जायेगी ।

10.2 इन्क्यूबेशन हेतु किराया अनुदान – छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले स्टार्ट अप इकाईयों को वैध रहने पर 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया का भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा रु. 8 / – प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रतिमाह अधिकतम राशि रु. 8,000 / – की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान के रूप में की जावेगी ।

11. स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान :-

11.1 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर मे किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख ।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) मे किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख ।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रु 03 लाख प्रति वर्ष ।

12. राज्य के अनुसूचित जनजाति / जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित



- स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी ।
13. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैध स्टार्ट अप यूनिट अनुमोदन के पश्चात् पात्रता अनुसार सिंगल विण्डो सुविधा के माध्यम से ऑनलाईन उद्यम आकांक्षा में पंजीयन प्राप्त करेगी, जिससे उन्हें राज्य शासन द्वारा दी जा रही ऑनलाईन अनुमतियां एवं सुविधायें आसानी से उपलब्ध होगी ।
 14. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को विभिन्न आरंभिक कार्यवाहियों के लिए सहयोग एवं मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ऑनलाईन तथा प्रत्यक्ष संपर्क हेतु उद्योग संचालनालय में स्टार्टअप प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा जो कि उद्देश्य के अनुरूप स्टार्टअप इकाईयों को सहायता करेगा ।
 15. स्टार्टअप एकक/इकाईयों को प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर श्रम, वाणिज्यिक कर तथा पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुपालन की व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जाएंगे ।
 16. स्टार्टअप एकक/इकाईयों की स्थापना के लिए पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण लेने के लिए संपर्शिक जमानत के विकल्प के रूप में क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अंशदान शासन द्वारा वहन किया जाता है ।
 17. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों विशेषतः सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत स्टार्टअप इकाईयों की स्थापना हेतु कैप के आयोजन एवं शुश्रुषा हेतु इन्क्यूबेटर एवं वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाएगा ।
 18. प्रदेश में स्टार्टअप इकाईयों के चयन एवं विकास के लिए समय-समय पर स्टार्ट अप फेस्ट (मेले) आयोजित किए जायेंगे, जिसमें नवागंतुक स्टार्टअप उद्यमी एवं इच्छुक निवेशकों को एक प्लेटफार्म प्राप्त हो ।
 19. प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय कर स्टार्टअप इकाईयों हेतु आवश्यक मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जायेगा ।
 20. स्टार्टअप इकाईयों को नवीन उत्पाद/सेवायें उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों से समन्वय कर नवाचार हेतु प्रेरित किये जाने का प्रयास किया जायेगा जिससे औद्योगिक इकाईयों में उत्पाद बनाने में अभिनवीकरण एवं मूल्य संवर्धन हो सके ।



21. उक्त पैकेज के लिये औद्योगिक नीति 2019–24 में दी गई परिभाषायें मान्य होंगी।
22. इस पैकेज का लाभ लेने पर स्टार्टअप को राज्य शासन से अन्य समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार से भारत शासन से समान प्रकृति (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) को लाभ प्राप्त है तो वह लाभ राज्य शासन से प्राप्त नहीं होंगे।
23. इस पैकेज के तहत पात्र स्टार्टअप इकाईयों को उक्त अनुसार अनुदान छूट एवं रियायतें प्राप्त होंगे, चाहे वह सामान्य वर्ग का निवेशक को या अनुसूचित जाति/जनजाति, अप्रवासी भारतीय, एफ.डी.आई निवेशक, निर्यातक, महिला या नक्सल प्रभावित हो, चाहे विकासशील क्षेत्र में हो या पिछड़े क्षेत्र में हो।
24. इस पैकेज का लाभ इकाई को तब तक ही प्राप्त होगा जब तक कि वह स्टार्टअप के रूप में रहती है अर्थात् उसे 10 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक न हुआ हो। इसका अर्थ यह है कि 10 वर्ष से अधिक का समय हो जाने अथवा वित्तीय वर्ष के अंत में उसका टर्नओवर रूपये 100 करोड़ से अधिक हो जाने पर आगामी वित्तीय वर्ष से इकाई स्टार्टअप पैकेज का लाभ लेने के लिये अपात्र हो जायेगी।
25. पैकेज की स्वीकृति देने के पूर्व स्वीकृति देने वाले अधिकारी को स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पर Validate Startup Recognition में इकाई के वैध स्टार्टअप होने की पुष्टि करना आवश्यक होगा।
इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।

22 औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज :-

अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019–24 में निर्धारित नियमानुसार, पात्रतानुसार विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत निम्नानुसार अनुदान, छूट एवं रियायतें दी जावेगी :-



(22.1) ब्याज अनुदान :- पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग			प्राथमिकता उद्योग			उच्च प्राथमिकता उद्योग		
		अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	अनुदान की अवधि (वर्षों में)	अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की वार्षिक अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	5	75	20	6	75	25	7	75	30
	ब	6	75	25	7	75	30	8	75	35
	स	7	75	40	8	75	50	9	75	55
	द	8	75	45	10	75	55	11	75	60
मध्यम वृहद उद्योग	अ	5	75	30	5	75	40	6	75	45
	ब	6	75	35	6	75	45	7	75	50
	स	7	75	45	8	75	60	9	75	65
	द	8	75	50	10	75	65	11	75	70

(22.2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार देय होगा-

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	अ	40	40	45	80	45	90
	ब	40	50	45	90	45	100
	स	45	60	50	100	50	110
	द	45	70	50	110	50	120
मध्यम उद्योग	अ	35	80	40	90	40	100
	ब	40	90	45	100	45	110
	स	45	100	45	125	45	130
	द	45	120	45	130	50	140



- टीप – (1) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।
- (2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(22.3) नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति :-

केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु

क्षेत्र	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-अ परिशिष्ट- 7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत
श्रेणी-ब परिशिष्ट- 7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत
श्रेणी-स परिशिष्ट- 7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 70 प्रतिशत
श्रेणी-द परिशिष्ट- 7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 80 प्रतिशत	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत

- टीप :- (1) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिये मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।
- (2) इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षों में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट एसजीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा जो भी कम हो तक, की पात्रता होगी।

(22.4) विद्युत शुल्क छूट :-

पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर उद्योगों सहित) के नवीन उद्योगों/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/विद्यमान उद्योगों के शवलीकरण प्रकरणों में विद्युत शुल्क भुगतान से निम्नलिखित विवरण अनुसार छूट दी जाएगी :-

क्षेत्र	सामान्य उद्योग / कोर सेक्टर उद्योग	प्राथमिकता उद्योग	उच्च प्राथमिकता उद्योग
श्रेणी-अ परिशिष्ट-7 (अ)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-ब परिशिष्ट-7 (ब)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-स परिशिष्ट-7 (स)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट
श्रेणी-द परिशिष्ट-7 (द)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :- केप्टिव उत्पादन संयंत्रों एवं वेस्ट हीट रिकवरी वाले उद्योगों को स्वयं की खपत पर विद्युत शुल्क भुगतान से छूट की पात्रता होगी।

(22.5) मंडी शुल्क से छूट :-

नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योगों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक / इकाई / राज्य के बाहर से सर्वप्रथम



कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 7 वर्ष तक के लिये कृषि उत्पादों (परिशिष्ट-4 में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट, अधिकतम राशि ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रदान की जायेगी, साथ ही छूट की कुल अधिकतम सीमा इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(22.6) अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत :-

(केवल सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों / उद्यमों के लिए)

- (1) उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी एवं भू-भाटक की दर 1 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।
- (2) औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन / छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों (श्रेणी 'अ' एवं 'ब') में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में (श्रेणी 'स' एवं 'द') 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का इन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जावेगा। आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात् का हो, से दो वर्ष तक रहेगी।
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम-2015" में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार होगी।

(22.7) परिवहन अनुदान :

औद्योगिक नीति 2019-24 की अवधि में राज्य में कहीं भी स्थापित इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों (खदान सामग्री छोड़कर निर्यात उन्मुख उद्योगों हेतु) के निर्यात के लिये निर्माण



स्थान से लेकर निर्यात स्थान तक, वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता प्रदान की जायेगी। सहायता की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष होगी, जो औद्योगिक नीति 2019-24 की समयावधि तक मिलेगी।

(22.8) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान) :-

औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट 6 अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

टीप— उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति अन्य अनुदान, छूट एवं रियायतें भी प्राप्त होंगे।

23 वनांचल उद्योग पैकेज (वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन हेतु) :-

(अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 04 नवंबर, 2020 द्वारा नवीन आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में समावेश किया गया है।)

औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 (स) एवं परिशिष्ट-7 (द) में उल्लेखित विकासखण्डों में स्थापित होने वाले वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये नीति की अवधि में उत्पादन में आने वाले उद्योगों के लिये विशेष आर्थिक निवेश प्रोत्साहन निम्नांकित अनुसार नियम व शर्तों के अंतर्गत प्राप्त होंगे।

पैकेज हेतु नियम व शर्तें :-

1. प्रस्तावित लघु उद्योगों के द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्गत न्यूनतम रूपये 50 लाख तथा अधिकतम रूपये 5 करोड़ निवेश किया जाना आवश्यक होगा।
2. इस पैकेज में पात्र लघु उद्योगों को औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट 6.2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के स्थान पर, उत्पादन में आने के उपरांत संबंधित उद्योग को मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान के रूप में "स" विकासखण्डों में कुल निवेश का 40 प्रतिशत, पांच वर्षों में, रूपये 40 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम तथा "द" विकासखण्डों में कुल निवेश का 50 प्रतिशत,



पांच वर्षों में, रूपये 50 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम पात्रतानुसार देय होगा। मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना इस विषय में औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत लागत पूंजी अनुदान हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जायेगी।

3. पात्र लघु उद्योगों को इस पैकेज के बिन्दु क्रमांक-2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के अतिरिक्त औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट 6.3 में उल्लेखित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति की सुविधा भी नियमानुसार प्राप्त किये जाने की पात्रता होगी। इस हेतु संबंधित परिशिष्ट 6.3 हेतु उल्लेखित प्रावधान लागू होंगे।
4. प्रस्तावित उद्योग को विभाग / सीएसआईडीसी के लैण्ड बैंक में उपलब्ध अविकसित भूमि आबंटन के मामले में "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा क्षेत्र हेतु निर्धारित गार्डललाईन दरों पर औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-7 (स) विकासखण्ड क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा औद्योगिक नीति के परिशिष्ट-7 (द) 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।
5. प्रस्तावित उद्योग को विभाग / सीएसआईडीसी के द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि आबंटन के मामले में "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार एवं पात्रतानुसार तत्समय प्रचलित उद्योग विभाग / सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दरों में औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छूट प्राप्त होगी।
6. उक्त पैकेज के लिये सामान्य नियम शर्तें एवं परिभाषायें औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित अनुसार मान्य होंगी।
7. उपरोक्त औद्योगिक निवेश के विशेष आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अतिरिक्त निवेशकों को औद्योगिक नीति 2019–24 में उल्लेखित नियमानुसार एवं पात्रतानुसार आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।
8. पैकेज के बिन्दु क्रमांक-2 में उल्लेखित स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की मात्रा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के प्रकरणों में 10 प्रतिशत की राशि पात्रता अनुसार अतिरिक्त देय होगी।

इस अधिसूचना के अंतर्गत दिये जाने वाले अनुदान एवं छूट औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में उल्लेखित प्रक्रियाओं एवं शर्तों के अधीन नियमन किया जावेगा।



1.2 छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति 2018-23 :- इस नीति के अंतर्गत नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतें—

1 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :-

15-40 एकड़ लॉजिस्टिक्स पार्क	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर लॉजिस्टिक्स पार्क
पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रु. 10.00 करोड़ से 12.50 करोड़ तक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक अधिकतम सीमा रु. 12.50 करोड़ से 15.00 करोड़ तक।

2 ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर) :- 6 से 7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रु. 60 लाख से 100 लाख तक वार्षिक।

3 विद्युत शुल्क छूट :- लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ करने के दिनांक से 08 से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

4 स्टाम्प शुल्क से छूट -

(अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक / लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर पूर्ण छूट।

(ब) ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक।

5 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में वेयरहाउसिंग पर भू आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत:-

15-40 एकड़ पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क पर भू-प्रीमियम पर भू-प्रब्याजि में 20 से 25 प्रतिशत तक छूट।

6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान- राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को आई0एस0ओ0- 9000, आई0एस0ओ0-14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।



- 7 **तकनीकी पेटेन्ट अनुदान** - प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
- 8 **प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान** - प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।
- 9 **विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान** - भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति ।
- 10 **ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति-**
डेव्हलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रू. प्रतिवर्ष होगी । प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगा:-
अ. महिला रोजगार – 100 प्रतिशत
ब. पुरुष रोजगार – 75 प्रतिशत
- 11 **वाहन पंजीयन शुल्क में छूट** - परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर ;अधिकतम 50 वाहनद्ध, जिनकी क्षमता 09 मे.टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी

1.3 “छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन”

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से “नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग” योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना “छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन” राज्य में प्रभावशील है । इस योजना की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक थी ।

राज्य शासन द्वारा लागू की गयी नवीन औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत “छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन” योजना की कालावधि को 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है । जिसके तहत मिशन में निम्न योजनाएँ समावेशित है:-



क्र.	योजना का नाम	अनुदान की दर	अधिकतम राशि
1.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण	संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का 25 प्रतिशत	50.00 लाख
2.	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन (शीतश्रंखला) हेतु, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास	(अ) परियोजना लागत का 35 प्रतिशत का अनुदान (ब) बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से आया वास्तविक ब्याज, 5 वर्ष की अवधि हेतु	500.00 लाख 200.00 लाख
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	250.00 लाख
4.	रीफर वाहन योजना	कूलिंग की लागत का 50 प्रतिशत	50.00 लाख

1.4 निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना

राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 5 करोड़ का अनुदान तथा स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू-पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होंगे।

परंतु, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में उपरोक्त निजी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि उपलब्धता कम होने के कारण 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भी इन प्रावधानों का लाभ उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए प्रकरण स्वीकृत किये जा सकेंगे।

1.5 अन्य विशेष प्रोत्साहन

- 1 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को सामान्य वर्ग के उद्यमियों को (औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका-15.1 में दर्शित अनुसार) दिये जाने वाले



अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में एक वर्ष अधिक की छूट दी जावेगी।

- 2 राज्य के महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्तों को (औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका-15.1 में दर्शित अनुसार) सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी।
- 3 राज्य में औद्योगिक / वाणिज्यिक भूमि पर लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना / पूर्व से स्थापित उद्यम में विस्तार करने पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतें पात्रतानुसार प्राप्त होंगी।
- 4 राज्य में "फिल्म उद्योग" के विकास हेतु फिल्म स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउन्ड रिकार्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में सामान्य लघु उद्योगों हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।
- 5 रूपये 100 करोड से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में BeSpoke Policy के अंतर्गत विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
- 6 राज्य में उपलब्ध जैव विविधता, वनोपज, हर्बल एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों पर आधारित उद्योगों की उन्हीं जिलों में स्थापना को अधिक प्रोत्साहन की नीति।
- 7 उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (अ' एवं 'ब' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रु. 15 लाख की सीमा तक तथा स' एवं 'द' श्रेणी के विकासखंडों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रु. 25 लाख की सीमा तक) प्रदान किये जावेंगे।
उक्त प्रयोजन के लिए एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यमों को सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा जारी किये जायेंगे, ताकि उन्हें इस नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन उपलब्ध हो सके।



1.6 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

- 1- युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ है।
- 2- इस योजना के अन्तर्गत राज्य शासन की ओर से युवा वर्ग को आर्थिक सहायता, समर्थन, आर्थिक प्रोत्साहन, बैंक गारंटी शुल्क व वार्षिक सेवा शुल्क देकर युवा वर्ग को यह एहसास कराया है कि उनके स्वरोजगार स्थापना में राज्य शासन उनके साथ है।

3- पात्रता –

- 3.1 आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हों।
- 3.2 आवेदक न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण हों।
- 3.3 आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हों।
(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)
- 3.4 आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (defaulter) नहीं हो।
- 3.5 एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा।
- 3.6 आवेदक की परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,000/- से अधिक नहीं हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे। आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता- पिता, अविवाहित भाई- बहन की आय भी सम्मिलित होगी)
- 3.7 आवेदक जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे।



4. इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -

4.1. ऋण

विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	25.00 लाख
सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	10.00 लाख
व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम रू0	02.00 लाख

4.2 हितग्राहियों को सुविधायें

वर्ग	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क / वार्षिक सेवा शुल्क
सामान्य वर्ग	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख रू0 तक	5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 50,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 25,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.पि.वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / विकलांग / भूतपूर्व सैनिक / नक्सल प्रभावित	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
अ.जा. / अ.ज.जा.	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रू0 तक	8 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि हेतु (प्रथम ऋण वितरण दिनांक से) अधिकतम सीमा सावधि ऋण पर रू. 75,000.00 एवं कार्यशील पूंजी पर रू0 40,000.00	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

4.3- उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों को प्रचलित औद्योगिक नीति में प्रावधानित ब्याज अनदान एवं योजना में प्रचलित ब्याज अनुदान की राशि का अंतर तथा औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों के अन्तर्गत देय औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे ।

5. परियोजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में टास्कफोर्स समिति द्वारा दी जावेगी ।

2. केन्द्रीय योजनाएँ

2.1 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

मुख्य बिन्दु –

उद्देश्य		– देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन ।
परियोजना लागत–	विनिर्माण	– अधिकतम रु. 25.00 लाख
	सेवा एवं व्यवसाय	– अधिकतम रु. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान–	सामान्य वर्ग	– 10 प्रतिशत
	अजा / अजजा /	– 5 प्रतिशत
	अपिर्वर्ग व अन्य	
अनुदान की दर –	सामान्य वर्ग	– शहरी 15 प्रतिशत, ग्रामीण 25 प्रतिशत
		अजा / अजजा / – शहरी 25 प्रतिशत
		अपिर्वर्ग व अन्य ग्रामीण 35 प्रतिशत
पात्रता –	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह / सोसायटी भी पात्र	

2.2 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) :-

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सूक्ष्म इकाईयों के विकास/उन्नयन के लिए “एक जिला एक उत्पाद (ODOP)” के तहत 28 जिलों में उत्पाद का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।



2.3 स्टैण्ड अप इण्डिया योजना :-

भारत सरकार द्वारा स्टैण्ड अप इण्डिया योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एवं सेवा क्षेत्र में नए उद्यम लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक शाखा को न्यूनतम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराना है। ऋण की सीमा 10.00 लाख रुपये से 1.00 करोड़ तक है।

2.4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :-

इस योजना में तीन श्रेणियों हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। श्रेणियाँ निम्नानुसार है :-

1. "शिशु" में रु. 50000 तक
2. "किशोर" में रु. 50000 से अधिक एवं रु. 5 लाख तक
3. "तरुण" रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 10 लाख तक ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है।

यह योजना सूक्ष्म श्रेणी हेतु स्वयं का व्यवसाय/ उद्यम की स्थापना के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हुई है।

2.5 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC)

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई. डी.सी. है।



भारत सरकार के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खम्हरिया	मुंगेली	60	21.15	6.00	15.15
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	14.50	6.00	8.50
4.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61	—	—
5.	जी-जामगांव	धमतरी	24.71	7.67	—	—

“छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” 07 मार्च 2015 से प्रभावशील है जिसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
1.	संचालनालय का आदेश क्र. 99/अधोविक/भूआ. /2003/1073	22.10.2019	—	उद्योग संचालनालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भू-प्रब्याजी की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई।
2.	एफ 20-47/2013/11/(6)	31.10.2019	2.5.3	भूमि, भवन-शेड एवं प्रकोष्ठ के आबंटियों से भू-भाटक (लीजरेंट) कुल प्रचलित प्रब्याजी का 3 प्रतिशतके स्थान पर 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया।
3.	एफ 20-47/2013/11/(6)	31.10.2019	2.13	लीजहोल्ड भूमि से फ्री-होल्ड
	एफ 20-47/2013/11/(6)	09.09.2020	—	1-इकाईयों को आबंटित 4.00 हेक्टे. या 10 एकड़ तक एक चक भूमि या इससे कम पट्टाभिलेख पर आबंटित भूमि 2-गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया हो। 3-आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के 45 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				<p>4-आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से कम समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के 35 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।</p> <p>5- आबंटी जिनको भूमि आबंटन के पश्चात् 30 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो चुका हो, लागू प्रब्याजी की दर के 25 प्रतिशत के बराबर राशि (यथा लागू कर अतिरिक्त) फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क के रूप में देय होगी।</p> <p>6- फ्री-होल्ड परिवर्तन शुल्क की दर अनुसूचित जनजाति/जाति के पट्टाभिलेखों के मामले में क्रमशः प्रत्येक बिंदु में अंकित राशि के 25 प्रतिशत के बराबर ली जावेगी।</p>
4.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	31.10.2019	3.4.2.4	जिन प्रकरणों में आबंटित भू-खण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो अर्थात् कार्यरत अथवा उत्पादन में आने के पश्चात् बंद हुए उद्यम जिनमें निरस्तीकरण आदेश जारी न हुआ हो, उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी की 15 प्रतिशतके स्थान पर 5 प्रतिशत राशि देय होगी।
5.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	31.10.2019	3.4.2.8	भूमि/भवन-शेड/प्रकोष्ठ का आंशिक हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा परन्तु कंडिका 3.1.2.2 अनुसार आबंटित भूमि का आंशिक समर्पण किया जा सकेगा।
6.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.06.2020	—	राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में (वर्तमान में उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सीएसआईडीसी के द्वारा नियंत्रित) भूमि आबंटन से संबंधित समस्त कार्य मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी के रूप में किया जावेगा।


क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
7.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.06.2020	—	उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा सीएसआईडीसी के द्वारा नियंत्रित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, प्रबंधन एवं संधारण का कार्य सीएसआईडीसी के द्वारा एकल एजेंसी के रूप में एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा।
8.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	30.07.2020	2.5.13	प्रशासकीय विभाग को यह अधिकार होगा कि वह किसी/किन्हीं "अप्रत्याशित घटना (Force majeure) की परिस्थिति में किसी औद्योगिक क्षेत्र/किन्हीं विशेष प्रकरण में भू-भाटक, संधारण शुल्क, अन्य देय शुल्क के विषय में देय ब्याज/शास्ति में राहत प्रदान कर सकेगा किन्तु ऐसा किये जाने से पूर्व विभाग को इन नियमों के नियम 3.15 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होगा।
9.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.1.1	इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने हेतु समयावधि की गणना इकाई द्वारा भूमि/शेड/प्रकोष्ठ का आधिपत्य प्राप्ति के दिनांक से (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से 3 वर्ष (पूर्व में 2 वर्ष) (ब) मध्यम उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से 4 वर्ष (पूर्व में 3 वर्ष) (स) वृहद उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से 5 वर्ष (पूर्व में 4 वर्ष) (द) मेगा उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से 6 वर्ष (पूर्व में 5 वर्ष) (इ) अल्ट्रा उद्योग के मामले में आधिपत्य दिनांक से 7 वर्ष (पूर्व में 6 वर्ष)
10.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.4.2.1	जिन प्रकरणों में आर्बटित भूखण्ड पर प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन अनुसार बाउंड्रीवाल छोड़कर कोई उत्पादन के लिए आवश्यक भवन का निर्माण न हुआ हो उनमें दिनांक 07.03.2015 के पहले लागू नियमों/दरों पर आर्बटित भूमि हेतु प्रभावशील प्रब्याजी के 50 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				शुल्क, दिनांक 07.03.2015 के पश्चात् लागू नियमों/दरों पर आबंटित भूमि हेतु प्रभावशील प्रब्याजी के 30 प्रतिशत के बराबर हस्तांतरण शुल्क देय होगा।
11.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.7.2	पट्टाभिलेख की शर्तों का उल्लंघन पट्टाग्रहिता द्वारा करने की स्थिति में उल्लंघन का निराकरण करने हेतु 60 दिवसीय सूचना पत्र के स्थान पर 15 दिवसीय सूचना पत्र जारी किया जाएगा।
12.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.8.3	आबंटन अधिकारी द्वारा जारी निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपील का प्रावधान समाप्त करते हुए निरस्तीकरण आदेशकर्ता को ही अभ्यावेदन के निराकरण करने हेतु अधिकृत किया गया है तथा निराकरण की समय-सीमा 15 दिवस निर्धारित की गई है।
13.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.9.1	पट्टाभिलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा (लंबित अपील/न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त मामलों को छोड़कर) एकपक्षीय आधार पर अधिकतम 15 दिवस के स्थान पर 07 दिवस में पंचनामा कर प्राप्त कर लिया जावेगा। तथापित अनुत्पादक संपत्तियों को आबंटनी स्वयं के व्यय पर निरस्तीकरण आदेश दिनांक से 15 दिवस (पूर्व में 30 दिवस) में हटा सकेगा।
14.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.10.2020	3.9.2	यदि आबंटित भूमि पर परिसंपत्तियां निर्मित की गई हों तो आबंटन प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण उपरांत पट्टेदार को अपनी परिसंपत्तियां हटाने हेतु निरस्तीकरण आदेश की तिथि से अधिकतम 01 माह (पूर्व में 03 माह) का समय प्राप्त होगा।
15.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	04.11.2020	2.2.1	छत्तीसगढ़ के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग के उपक्रम यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				1 कंपनी मर्यादित/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के द्वारा उक्त क्षेत्र में विद्युत पारेषण/वितरण हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि का आबंटन रूपये 01 (एक) प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि (टोकन मनी) पर बिना किसी "Lease rent, security deposit etc." के किया जाएगा।
16.	एफ 20-47/2013/11/(6)	04.11.2020	2.10.1 2.10.2	रियायती प्रब्याजी दर पर आबंटित भूखंडों का प्रबंधन हेतु प्रब्याजी में 30 प्रतिशत या अधिक के स्थान पर प्रब्याजी में 60 प्रतिशतसे अधिक प्रतिस्थापित किया गया।
17.	एफ 20-47/2013/11/(6)	04.11.2020	3.1.1.1(ए)	3.1.1.1(I) में तृतीय वृद्धि के लिए उपलब्ध प्रावधान के उपरांत भी उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ न किए जाने की स्थिति में तथा पट्टाभिलेख के निरस्त न होने की स्थिति में संबंधित इकाई को कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशतअतिरिक्त भुगतान करने पर उत्पादन प्रारंभ करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि, जो अधिकतम दिनांक 31.10.2021 को समाप्त होगी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स"र्त प्रदाय की जा सकेगी।
18.	एफ 20-47/2013/11/(6)	16.12.2020	1.2.7	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम - से अभिप्रेत है, "राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सेवा उद्यम जिनके संबंध में राज्य के द्वारा उद्यम आकांक्षा अथवा समतुल्य कोई अभिस्वीकृति/प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।



क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
18.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	1.2.8	वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम – से अभिप्रेत है, 'राज्य सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी औद्योगिक नीति के अंतर्गत परिभाषित वृहद उद्योग एवं वृहद सेवा उद्यम जिन्हें राज्य के द्वारा जारी प्रावधानित अनुसार कोई अभिस्वीकृति / प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
20.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	3.4.2.4	कंडिका क्र. 3.4.2.4- जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा-ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी नहीं हुआ हो उनमें तत्समय प्रचलित भू-प्रब्याजि की 5 (पांच) प्रतिशत राशि देय होगी। परंतु, जिन प्रकरणों में आबंटित भूखण्ड पर उद्यम की स्थापना हो चुकी हो तथा जिन्हें विभाग द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र यथा-ई.एम. पार्ट-2 एवं उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो और बंद उद्योग/उद्यम के प्रकरण में निरस्तीकरण आदेश जारी हो चुका हो उनमें 07 मार्च, 2015 के पूर्व भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात भूमि आबंटन के मामले में हस्तांतरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि उनमें हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगी। उपरोक्त प्रावधान कंडिका 3.4.2.10 एवं 3.4.2.11 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में भी उपरोक्तवत लागू होंगे।



क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
21.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	3.4.2.6	<p>कंडिका क्र. 3.4.2.6— उपरोक्त 3.4.2.1 से 3.4.2.4 तक के प्रकरणों के मामले में हस्तांतरण के अनुमोदन उपरांत भू-आधिपत्य प्राप्तकर्ता द्वारा आदेश दिनांक से आगामी 5 वर्ष तक भूमि का पुनः हस्तांतरण अथवा इकाई के गठन का परिवर्तन, इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर, परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।</p> <p>इस प्रावधान के उल्लंघन होने पर प्रकरण में नियमितिकरण हेतु राशि 07 मार्च, 2015 के पूर्व मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 40 प्रतिशत तथा 07 मार्च, 2015 के पश्चात मूलतः भूमि आबंटन के मामले में उल्लंघन नियमितिकरण के दिनांक पर लागू प्रब्याजी का 20 प्रतिशत राशि, के रूप में प्रचलित प्रब्याजी के समतुल्य हस्तांतरण शुल्क एवं शास्ति शुल्क नियमितिकरण दिनांक पर लागू प्रब्याजी के 10 (दस) प्रतिशत के बराबर, अतिरिक्त रूप से ली जायेगी। शास्ति सहित पूर्ण राशि का भुगतान न करने पर उद्योग के पक्ष में जारी आबंटन आदेश तथा लीजडीड नियमानुसार निरस्त की जायेगी।</p>
22.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	3.4.2.7	<p>कंडिका क्र. 3.4.2.7— निरस्त भूखण्ड, शेड-भवन / प्रकोष्ठ का हस्तांतरण नवीन नियमों में अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।</p>
23.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	3.10.1	<p>कंडिका क्र. 3.10.1— पट्टाग्रहिता द्वारा देयताओं का एकमुश्त भुगतान करने के साथ ही पुनर्स्थापना दिनांक पर प्रचलित प्रब्याजि का 05 (पाँच) प्रतिशतराशि शास्ति के रूप में लेकर भूमि, भवन / शेड के पट्टे को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।</p>



क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
24.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	16.12.2020	3.10.2	<p>कंडिका क्र. 3.10.2- उपरोक्त कंडिका 3.10.1 से भिन्न प्रकरणों में पट्टा निरस्तीकरण के मामले में भूमि, भवन/शेड की पुनर्स्थापना के प्रत्येक प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर इकाई की अद्यतन स्थिति, रोजगार, पूंजी निवेश, उल्लंघित प्रावधानों की पूर्ति एवं उद्योग स्थापनार्थ नये प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए की जा सकेगी।</p> <p>इस हेतु आबंटन प्राधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजि 07 मार्च 2015 के पूर्व के मूलतः आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 45 प्रतिशत तथा 07 मार्च 2015 के पश्चात् मूलतः आबंटन के मामले में पुनर्स्थापना दिनांक पर लागू प्रब्याजि का 25 प्रतिशतराशि पुनर्स्थापना शुल्क एवं अन्य देय राशि के बराबर का एकमुश्त भुगतान प्राप्त कर भूमि आबंटन पुनर्स्थापन की अनुमति दी जा सकेगी। उक्त अनुमोदन के दिनांक से आगामी 05(पांच) वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित उद्योग इकाई के संगठन का स्वरूप इन नियमों में अन्यथा स्वीकार्य होने की स्थिति को छोड़कर परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।</p>
25.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	2.5.7	<p>अविकसित भूमि आबंटन की दरें :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • अधिग्रहित भूमि के समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/गाईड लाईन मूल्य में जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि जोड़कर अविकसित भूमि हेतु भू-प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी। • शासकीय भूमि आबंटन के मामले में आबंटन दिनांक के वित्तीय वर्ष हेतु उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के गाईड लाईन मूल्य के 150 प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशतत सेवा शुल्क (यथा लागू कर

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
				अतिरिक्त) की राशि जोड़कर भू-प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी। ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा। ऐसी अविकसित भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित भू-प्रब्याजि का 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा एवं इस भूमि पर संधारण शुल्क नहीं लिया जायेगा।
26.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	2.13	फ्री-होल्ड पर भूमि :- औद्योगिक क्षेत्र में/औद्योगिक क्षेत्र के बाहर/लैण्ड बैंक से आबंटित भूमि में "गत 10 व अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया गया हो जिन्हे 4 हेक्टे. या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित हो को फ्री होल्ड की पात्रता होगी।
27.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	3.1.2.2	अविकसित भूमि का पूर्ण उपयोग करना :- औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित, यदि अतिशेष भूमि पृथक औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए आबंटन योग्य है, अर्थात उसमें पृथक से मार्ग उपलब्ध है, तो संबंधित मूल आबंटी को भूमि का आंशिक समर्पण किये जाने पर नवीन इकाई की स्थापना हेतु संबंधित आबंटी द्वारा प्रस्तावित नये निवेशक के पक्ष में विभाग के आबंटन प्राधिकारी के समक्ष आंशिक समर्पण के पश्चात् नवीन आबंटी द्वारा प्रश्नाधीन आंशिक भूखण्ड हेतु आबंटन आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक पर संबंधित क्षेत्र हेतु निर्धारित/प्रचलित प्रब्याजि की 50 प्रतिशतकी दर पर आबंटित की जा सकेगी। (रक्त संबंधी एवं विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य विभाजन के प्रकरण में राशि रू. 10,000/-हस्तांतरण शुल्क देय होगा। ऐसा विभाजन मूल अनुमोदित भूखण्ड में केवल एक बार मान्य होगा।



क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
28.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	3.4.1.2	पति / पत्नि, रक्त संबंधियों एवं विधिक उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण :- पति / पत्नि, रक्त संबंधियों एवं विधिक उत्तराधिकारियों को आबंटित भूमि, शेड भवन की लीज हस्तांतरित किये जाने पर प्रत्येक विभाजन प्राप्तकर्ता के लिए रु. 10,000/- के सांकेतिक हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा। अनुमोदित मूल भूखंड में केवल एक बार विभाजन मान्य होगा। उक्त हस्तांतरण की अनुमति मूल आबंटि / मूल आबंटियों द्वारा आवेदन जमा करने के समय शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में दिये गये नामांकन के आधार पर दी जा सकेगी।
29.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	3.4.2.11	सर्फेसी एक्ट :- सर्फेसी एक्ट के प्रकरणों में भी भू-हस्तांतरण शुल्क तत्समय लागू प्रब्याजी के 10 प्रतिशतके बराबर देय होगा।
30.	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	22.05.2021	3.8	कंडिका क्र. 3.8.1- आबंटन अधिकारी द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश से असंतुष्ट पट्टेदार द्वारा 30 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन शुल्क सहित प्रस्तुत कर सकेगा। सीएसआईडीसी के विकास केन्द्रों / औद्योगिक क्षेत्रों / पार्कों के संबंध में अभ्यावेदन शुल्क उस निगम को देय होगा। कंडिका क्र. 3.8.2- अभ्यावेदन शुल्क के बिना प्राप्त अभ्यावेदन प्रकरणों में कोई कार्यवाही करने के पूर्व आवेदन अभ्यावेदक को कारण बताते हुए मूलतः वापस कर दिया जावेगा। कंडिका क्र. 3.8.3- भू-निरस्तीकरण अभ्यावेदन के संबंध में निरस्तीकरण आदेशकर्ता को ही अभ्यावेदन निराकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक	कंडिका	संक्षिप्त विवरण
31	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	28.02.2022	2.5.7	विभाग द्वारा आबंटित अविकसित भूमि/लैंड बैंक से आबंटित भूमि हेतु उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/गाईड लाईन मूल्य में से जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़ कर भू-प्रब्याजी निर्धारित की जाएगी। ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा।
32	एफ 20-47 / 2013 / 11 / (6)	28.02.2022	3.4.2.16	विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर आबंटित विकसित भूमि/लैंड बैंक से पट्टे पर आबंटित भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों में कंडिका 2.5.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सांकेतिक भू-प्रब्याजि के निर्धारण के आधार पर हस्तांतरण शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। किन्तु ऐसी दरें विभाग द्वारा विकसित समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में लागू प्रब्याजि की दरों से अधिक नहीं होगी।



छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, 2022 में राज्य के औद्योगिक इकाईयों की सहभागिता एक दृश्य

भाग - 4

परिशिष्ट -एक

उद्योग संचालनालय की स्वीकृत पद संरचना

अ - उद्योग संचालनालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1.	उद्योग संचालक	01	आई.ए.एस. (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	अपर संचालक	04	01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में 01 प्रतिनियुक्ति हेतु एसआईपीबी में
3.	संयुक्त संचालक	08	06 प्रतिनियुक्ति पद 05-सीएसआईडीसी 01-एसआईपीबी
4.	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
5.	उप संचालक	18	07 प्रतिनियुक्ति पद 05-सीएसआईडीसी 02-एसआईपीबी
6.	सहायक संचालक	27	15 प्रतिनियुक्ति पद 10-सीएसआईडीसी 02-एसआईपीबी 01-जेल विभाग 02-ग्रामोद्योग
7.	सहायक प्रबंधक	14	02 प्रतिनियुक्ति पद एसआईपीबी में
8.	लेखा अधिकारी सहायक लेखाधिकारी	03	02 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	03	
10.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	06	01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी में
11.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	12	
12.	अधीक्षक	01	
13.	सहायक अधीक्षक	01	

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
14.	सहायक वर्ग-1	10	
15.	सहायक वर्ग-2 / लेखापाल	10	
16.	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग-3	24	
17.	जूनियर ऑडिटर	03	
18.	कम्प्यूटर आपरेटर	12	
19.	वाहन चालक (नैमित्तिक)	12	
20.	वाहन चालक	01	
21.	दफ्तरी	04	
22.	जमादार	02	
23.	भृत्य / चौकीदार	18	
24.	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	
25.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	02	
26.	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01-एसआईपीबी के लिये
	योग	209	

ब - मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	मुख्य महाप्रबंधक	06
2.	महाप्रबंधक	32
3.	प्रबंधक	80
4.	सहायक प्रबंधक	131
5.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	04
6.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	14
7.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	28
8.	सहायक अधीक्षक	03
9.	सहायक वर्ग-1	36
10.	सहायक वर्ग-2 / लेखापाल	77
11.	स्टेनोटायपिस्ट / सहायक वर्ग-3	87
12.	कम्प्यूटर आपरेटर	27
13.	वाहन चालक (नैमित्तिक)	19
14.	जमादार	27
15.	भृत्य / चौकीदार	73
16.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	18
	योग	662

परिशिष्ट -दो

रजिस्ट्रार फर्मस एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना

अ - मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	रजिस्ट्रार	1
2.	उप पंजीयक	1
3.	सहायक पंजीयक	2
4.	निरीक्षक	3
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	ऑडिटर	3
7.	स्टेनोग्राफर	1
8.	सहायक ग्रेड-2	2
9.	सहायक ग्रेड-3	3
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11.	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12.	दफ्तरी	1
13.	भृत्य	3
14.	प्रोसेस सर्वर	2
15.	चौकीदार / फर्शा	2
16.	वाहन चालक	1
	योग	29

ब - मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	सहायक पंजीयक	4
2.	निरीक्षक	4
3.	ऑडिटर	4
4.	सहायक ग्रेड-2	4
5.	सहायक ग्रेड-3	4
6.	भृत्य	4
7.	प्रोसेस सर्वर	4
8.	चौकीदार / फर्शा	4
	योग	32

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
3	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	3
4	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5	सहायक वर्ग-1	1
6	सहायक वर्ग-2	2
7	सहायक वर्ग-3	2
8	शीघ्र लेखक वर्ग-3	5
9	लेखापाल	1
10	स्टेनोग्राफिस्ट	1
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
12	वाहन चालक	1
13	भृत्य	4
14	चौकीदार	1
	योग	32



राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	संयोजक	1
2.	अपर संचालक	1
3.	संयुक्त संचालक	1
4.	उप संचालक	2
5.	सहायक संचालक	2
6.	सहायक प्रबंधक	4
7.	लेखापाल	1
8.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
9.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
10.	सहायक वर्ग-2	1
11.	सहायक वर्ग-3	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	भृत्य	2
14.	चौकीदार	1
	योग	20

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्वीकृत पद की संरचना

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1.	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2.	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
3.	उप महाप्रबंधक	01	डाइंग केडर
4.	मुख्य महाप्रबंधक	05	03 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं 01 पद विपणन प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत
5.	महाप्रबंधक	17	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
6.	कम्पनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
7.	प्रबंधक	30	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
8.	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति / सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रूप में स्वीकृत
9.	सहायक प्रबंधक	24	
10.	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय / 01 पद विपणन प्रभाग हेतु
11.	सहायक प्रबंधक तकनीकी / निरीक्षक	03	
12.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	1	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
13.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	01	
14.	शीघ्रलेखक वर्ग-2	02	
15.	शीघ्रलेखक वर्ग-3	03	
16.	सहायक लेखाधिकारी	03	
17.	लेखापाल	01	डाइंग केडर

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
18.	लेखापाल	08	
19.	केशियर	01	
20.	सहायक वर्ग-1	18	
21.	फील्ड ऑफिसर	01	डाइंग केडर
22.	सहायक वर्ग-2	24	
23.	सहायक वर्ग-3	36	
24.	सेल्समेन	03	डाइंग केडर
25.	स्टोर कीपर	02	डाइंग केडर
26.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	10	
27.	पी.बी. एक्स. ऑपरेटर	01	डाइंग केडर
28.	तकनीशियन	03	
29.	पटवारी	02	
30.	वाहन चालक	15	
31.	भृत्य	23	
32.	माली	02	
33.	दफ्तरी	01	डाइंग केडर
तकनीकी कक्ष			
34.	मुख्य अभियंता	01	
35.	कार्यपालन अभियंता	04	
36.	सहायक अभियंता	08	
37.	कनिष्ठ अभियंता	16	
38.	मानचित्रकार	01	
39.	सहायक मानचित्रकार	02	
40.	अनुरेखक	02	
41.	सहायक फोरमेन	01	डाइंग केडर
42.	मशीन आपरेटर	02	डाइंग केडर
43.	कारपेंटर	01	डाइंग केडर
44.	समयपाल	16	
45.	रोड रोलर चालक	03	डाइंग केडर
46.	पंप आपरेटर-1	05	

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
47.	पंप आपरेटर-2	03	
48.	प्लम्बर	05	
49.	फिल्टर प्लांट आपरेटर/ मीटर रीडर	13	
50.	इलेक्ट्रीशियन	03	
51.	लाईनमेन	06	
52.	हेल्पर	44	डाइंग केडर
53.	चौकीदार	20	
54.	कुशल श्रमिक	02	डाइंग केडर
55.	टर्नर	01	डाइंग केडर
56.	लेबर	02	डाइंग केडर
	योग	410	





नव निर्मित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र - स्थल दुर्ग



औद्योगिक निवेश का प्रवेश द्वार-उद्योग संचालनालय, सीएसआईडीसी, एसआईपीबी एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर अब एक ही छत के नीचे



श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़



श्री कवासी लखमा
मान. मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग
छत्तीसगढ़



वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

www.industries.cg.gov.in

<http://industries.cg.gov.in/startupcg/>



[/InvestChhattisgarh](https://www.facebook.com/InvestChhattisgarh)



[@CGInvest](https://twitter.com/CGInvest)